4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां

4.1 अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों में व्यय हेतु संसद से लगातार गलत प्राधिकरण प्राप्त किया जाना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114 बताता है कि, लोक सभा द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों हेतु समेकित निधि से सभी अपेक्षित धनराशि प्रदान करने तथा भारत की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय जो किसी भी अवस्था में संसद के समक्ष पूर्व प्रस्तुत विवरण में दर्शायी गई राशि से अधिक नहीं हो, के विनियोग हेतु प्रावधान के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। इस प्रकार पेश किया गया विधेयक, अनुदानों हेतु प्रत्येक मांग पर आधारित होगा। संसद द्वारा पारित विनियोजन अधिनियम, भारत की समेकित निधि से भुगतान/आहरण का प्रावधान करता है।

अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों की वित्तीय वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि बजट अनुमानों पर ₹13,014.94 करोड़ के सकल व्यय प्रावधान को दर्शाते हुए, संबंधित अनुदान हेतु अनुदानों की मांग में केवल वसूली के प्रावधानों को निवल करते हुए विनियोग विधेयक के प्रयोजन हेतु ₹1801.68 करोड़ की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों के अंतर्गत संसद से व्यय का प्राधिकरण प्राप्त किया जोकि ₹11,213.26 करोड़ तक कम था।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में गलत प्राधिकरण प्राप्त किए जाने के मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया था। रक्षा मंत्रालय से संदर्भ के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के दावों के प्रति सहमति जाहिर करते (जुलाई 2013) हुए, आश्वासन दिया कि तीन सेवाओं पर आपूर्तियों की लागत हेतु प्रावधान को शामिल करते हुए सकल आधार पर विनियोजन की मांग की प्रक्रिया को बदलने के मामले तथा वसूलियों को सीमा से अधिक दर्शाने की वर्तमान प्रणाली के प्रति वसूलियों को सीमा से नीचे दर्शाने की प्रणाली का अनुपालन 2014-15 के बजट से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 के संबंध में वित्त मंत्रालय ने पाया कि वर्तमान राजकोषीय वर्ष में किसी बदलाव हेतु अधिक अनुपूरक की आवश्यकता होगी, जो शायद पूरा न किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु संघ बजट में, रक्षा मंत्रालय ने अनुदान सं. 25 रक्षा आयुध कारखानों में संसद से ₹13,820.65 करोड़ के सकल प्रावधान की मांग की है।

4.2 के.प्र.क.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3)- करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय का लगातार उल्लंघन

संविधान का अनुच्छेद 114(3) अनुबंधित करता है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि द्वारा किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में वर्णित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में पाया कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी जिसके कारणवश विभाग, पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान को नहीं लगा पाया। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसियों पर 'ब्याज' को वापस लेने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। आगे, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया कि संविधान के अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधान द्वारा किए गए 'विनियोग' के अलावा भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालना रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में लो.ले.स. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया कि मंत्रालय सांविधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमावली के अनुसार एक प्रक्रिया स्थापित करे, जिससे कि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांग में कर वापसियों पर बयाज भुगतानों को दर्शाया जा सके तथा संसदीय स्वीकृति प्राप्त करे जैसाकि संविधान द्वारा आदेश दिया गया है।

पिछले छः वर्षों के लिए के.प्र.क.बो. द्वारा करों की वापसियों पर ब्याज पर किया गया व्यय निम्नानुसार हैः

तालिका 4.1ः करों की वापसियों पर दिए गए ब्याज पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2007-08	4444
2008-09	5778
2009-10	6876*
2010-11	10499
2011-12	6486
2012-13	6666
योग	**40,749**

** आरंभ में, विभाग द्वारा ₹12,951 करोड़ के आंकड़े को सूचित किया गया। तदनंतर, रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विभाग द्वारा ₹6,876 करोड़ के आंकड़े को सूचित किया।*

अतीत की तरह वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹6,666 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किये बिना पिछले छः वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹40,749 करोड़ का व्यय किया गया था।

4.3 के.उ.सी.शु.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) - करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय का लगातार उल्लंघन

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वापसियों पर ब्याज के भुगतान के मामले में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.) द्वारा भी इसी तरह की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क द्वारा वर्ष 2012-13 तथा चार वर्षों 2009-13 की अवधि में ब्याज को राजस्व में कमी के रूप में मानते हुए, करों की वापसी पर ब्याज पर क्रमशः ₹15.59 करोड़ तथा ₹44.78 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2 : करों की वापसियों पर दिए गए ब्याज पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसी पर दिए गए ब्याज पर व्यय		
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	कुल
2009-10	4.47	नगण्य	4.47
2010-11	16.51	0.70	17.21
2011-12	6.91	0.60	7.51
2012-13	15.47	0.12	15.59
कुल	**43.36**	**1.42**	**44.78**

चूंकि करों की वापसी पर ब्याज का भुगतान एक व्यय की मद है, जैसा कि पैरा संख्या 4.2 में वर्णित है तथा लोक लेखा समिति द्वारा कहा गया, इस तरह की मद हेतु बजट के प्रावधान को विभाग की संबंधित मांग के अनुसार प्राप्त करना चाहिए और लेखाओं में लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

इस गलत प्रक्रिया पर नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 में टिप्पणी की गई थी परंतु विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

4.4 बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

शीर्षवार विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि संसदीय प्राधिकरण के माध्यम से बिना किसी प्रदान बजट प्रावधान के चार अनुदानों में ₹ 1,501.00 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.3 : बजट सीमा के बिना व्यय

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियां
	20- रक्षा मंत्रालय (सिविल)			
1.	2075.00.108.01.01.31 सहायता अनुदान सामान्य	134.99	उत्तर प्रतिक्षित	का.ज्ञा. सं. एफ. 1 (23)-बी (ए.सी.)/2005 दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार संसद की पूर्व अनुमति प्राप्त कए बिना सहायता अनुदान पर प्राधिकृत प्रावधान के परे कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। परंतु इस मामले में सहायता अनुदान पर व्यय उस सेवा पर किया गया है जिसके लिए कोई संसदीय प्राधिकरण विद्यमान नहीं था।
2.	4047.00.037.01.05.52 मशीनरी एवं उपकरण	1363.57	मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि वर्गीकरण चूक को सही करने हेतु जहाज, वायुयान तथा फ्लीट का अधिग्रहण हेतु विषय शीर्ष 54 (निवेश) को 52-मशीनरी एवं उपकरण, में संशोधित किया गया था। इनका तदनुसार मार्च 2013 में पुनर्विनियोग आदेश जारी किया गया था।	वर्तमान मामले में गलत वर्गीकरण को सही करने हेतु विषय शीर्ष मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत अनुपूरक मांगों में बजटीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।
	26- रक्षा (अ. एवं वि.)			
3.	युद्ध सामग्री अनुसंधान बोर्ड (ए.आर.एम.आर.ई.बी.) बुकिंग शीर्ष 852/04 सहायता अनुदान	2.35	उत्तर प्रतिक्षित	
	34-विनियोग ब्याज भुगतान			
4.	*2049.01.111.00.00.45* ब्याज *2049.60.101.25.00.45* ब्याज *2049.60.101.29.00.45* ब्याज *(सभी प्रभारित)*	0.09	कार्यालय मुख्य नियंत्रक लेखा ने बताया (अक्तूबर 2013) कि व्यय भुगतानों के अधिक होने के कारण था तथा यह भविष्य में प्रकट नहीं होंगे। ऐसी बुकिंग से बचने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि व्यय भले ही कम हो किन्तु संसद द्वारा बजट प्रावधान की उचित रूप से स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता।
	योग	**1501.00**		

4.5 संवर्धन प्रावधानों हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.5.1 विषय-शीर्ष 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

विनियोग लेखों के साथ-साथ ई-लेखा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग नौ अनुदानों/विनियोगों में 19 मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को '31- सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान के ₹ 418.75 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप से.नि.सा. की सीमाओं को आकर्षित किया। नीचे दी गई तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जिनमें संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.4: सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	अधिक व्यय
		₹ करोड़ में					
अनुदान सं.1 कृषि एवं सहकारिता विभाग							
1.	2435.01.101.09.00.31 लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ	44.70	-	-	44.70	45.95	1.25
मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि निधियां वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मुख्य शीर्ष '2552', के अंतर्गत प्रावधान में से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गैर-क्रियात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान जिसे इस शीर्ष हेतु पुनर्विनियोजित किया गया था उसी योजना हेतु नहीं था तथा इसलिए सही नहीं था।							
अनुदान सं.20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
2.	2052.00.092.03.01.31- सहायता अनुदान-सामान्य	117.22	-	58.16	175.38	194.24	18.86
अनुदान सं.26-रक्षा (अ.एवं वि.)							
3.	बाहरी अनुसंधान शीर्ष 852/06	3.22	-	-	3.22	49.83	46.61
4.	जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (जी.वि.अ.बो.) शीर्ष 852/05	0.41	-	-	0.41	3.45	3.04
5.	नौसेना अनुसंधान तथा विकास बोर्ड (नो.अ.बो.) शीर्ष 852/03	1.17	-	-	1.17	11.57	10.40
अनुदान सं.46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
6.	2210.06.796.08.02.31 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.56	-	-	4.56	5.14	0.58
7.	2210.06.796.13.00.31 नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/ सशक्तिकरण	4.60	-	-	4.60	8.40	3.80
8.	2211.00.796.04.01.31 राज्य पी.आई.पी. आर.सी.एच. फ्लैक्सीबल पूल	109.50	-	-	109.50	154.89	45.39
9.	2211.00.796.04.02.31 राज्य पी.आई.पी. आर.सी.एच. फ्लैक्सीबल पूल	419.26	-	-	419.26	697.77	278.51
10.	2210.06.101.08.05.31 विधानमण्डल रहित सं.शा.क्षे. में व्यय	0.05	-	-	0.05	4.70	4.65
11.	2210.06.800.27.04.31 विभिन्न संघटकों हेतु राज्य समितियों को अनुदान (जी.सी.)	22.75	-	-	22.75	23.22	0.47

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	अधिक व्यय
		₹ करोड़ में					
अनुदान सं.59-उच्चतर शिक्षा विभाग							
12.	2202.80.800.37.00.31 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग	1.09	-	-	1.09	1.34	0.25
मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।							
अनुदान सं.63-विधि एवं न्याय मंत्रालय							
13.	2052.00.090.06.00.31 कानूनी कार्य विभाग	1.58	--	--	1.58	1.62	0.04
अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग							
14.	3451.00.090.18.00.31 अं.वि. सचिवालय	0.30	-	-	0.30	0.51	0.21
अनुदान सं.99-दमन एवं दीव							
15.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2235.02.196.02.00.31 पंचायतें	2.33	-	-	2.33	6.06	3.73
16.	ग्रामीण विकास मंत्रालय 2515.00.196.02.00.31 पंचायतें	8.21	-	-	8.21	8.66	0.45
अनुदान सं.100-लक्षद्वीप							
17.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 3435.60.198.01.00.31 पंचायतें	0.75	-	-	0.75	0.85	0.10
18.	शहरी विकास मंत्रालय 2215.02.198.01.00.31 पंचायतें	0.25	-	-	0.25	0.59	0.34
19.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2235.02.198.01.00.31 पंचायतें	1.48	-	-	1.48	1.55	0.07
	योग						**418.75**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.5.2 विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 में जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल ससंद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता हैं।

लेखा परीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹ 80.78 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद की पूर्व-स्वीकृति लिये बगैर विषय शीर्ष

'35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के लिए संर्वधित की गयी थीं जिसने सेवा के नए साधन को सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.5: विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ. *	उ.पू. *	अ.प्रा. *	कु.प्रा. *	कु.व्य. *	राशि
		₹ करोड़ में					
अनुदान सं.2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग							
1.	2415.01.150.07.00.35 कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	164.60	4.00	62.70 +6.00#	237.30	317.89	80.59
अनुदान सं.93-वस्त्र मंत्रालय							
2.	2851.00.789.27.00.35 महा समूह का विकास	1.92	--	--	1.92	2.11	0.19
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि अधिक व्यय के नियमन हेतु वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।							
	योग						**80.78**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

 # मु.शी. 2552 के अंतर्गत अनुपूरक

4.5.3 विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' से निधियों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा या तो '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' के लिए अनुदान या फिर '36-सहायता अनुदान वेतन' में पुनर्विनियोजन, संसद की पूर्व-स्वीकृति से अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगो के माध्यम से किया जाना अपेक्षित होता है। यह प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा 8 जून 2010 को जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन के आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनायी जानी थी, जब 12 फरवरी 2010 को विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियो के सृजन' के लिए अनुदान वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के नीचे भारत सरकार के निर्णय 1 के नीचे दर्शाये गये विषय शीर्षो की सूची की इंगित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के पांच मामलों में कुल ₹55.84 करोड़ की निधियों के वर्तमान प्रावधान के उल्लंघन में संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' हेतु संवर्धित की गई थी जिसने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.6: विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ. *	उ.पू. *	अ.प्रा. *	कु.प्रा. *	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
1.	2221.80.102.01.00.36 प्रसार भारती	1280.10	--	187.65	1467.75	1520.00	52.25
मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि संसद की स्वीकृति मुख्य-शीर्ष वार प्राप्त की गई है तथा मु.शी. के अंतर्गत कोई निवल संवर्धन नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि न.से./से.न.उ. की सीमाओं को विनियोग की प्राथमिक इकाई अर्थात् विषय शीर्ष के साथ देखा जाना चाहिए।							
अनुदान सं.100-लक्षद्वीप							
2.	कृषि मंत्रालय 2403.00.198.01.00.36 पंचायतें	2.70		1.45	4.15	4.49	0.34
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2210.06.198.01.00.36 पंचायतें	13.33		2.00	15.33	16.35	1.02
4.	कृषि मंत्रालय 2401.00.198.01.00.36 पंचायतें	4.59		0.50	5.09	5.73	0.64
5.	कृषि मंत्रालय 2405.00.198.01.00.36 पंचायतें	2.22		0.48	2.70	4.29	1.59
	योग						**55.84**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा ढेर के अनुसार)*

4.5.4 विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, संसद द्वारा पहले ही दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं तथा ई-लेखा डाटा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना मौजूदा प्रावधान के उल्लंघन में विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग तीन अनुदानों/विनियोगों में कुल ₹100.04 करोड़ की निधियाँ व्यय की गई थीं जिन्होंने नई सेवा/सेवा के नए उपकरण की सीमाओं को आकर्षित किया। निम्न तालिका उप-शीर्षों का ब्यौरा देती हैं जहाँ संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था जिसने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.7: 'आर्थिक सहायता' पर संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.12-औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग							
1.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता योजना	शून्य	शून्य#	शून्य	शून्य	13.70	13.70
2.	2885.02.101.10.00.33 पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	86.12	86.12
विभाग ने बताया (जून 2013) कि 'एन.ई.आई.आई.पी.पी. 2007 के अंतर्गत' विभिन्न योजनाओं के बीच निधियों का विभाजन वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकता के अनुसार किया जाता है परंतु इसका विस्तृत ब्यौरा गैर-क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत अ.वि.मां. में नहीं दर्शाया गया है। विभाग ने आगे बताया (नवम्बर 2013) कि गैर-क्रियात्मक शीर्ष में एक-मुश्त प्रावधान एन.ई.आई.आई.पी.पी. के विभिन्न योजनाओं हेतु मांग के अनुसार आर्थिक सहायता के निर्गम में अधिक उत्तोलन को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था जो वर्ष के दौरान परिपक्व हो सकते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु अ.वि.मां. में क्रियात्मक शीर्ष के अनुसार पृथक रूप से गैर-क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि 'आर्थिक सहायता' के अंतर्गत संवर्धन में संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है इसलिए योजना-वार ब्यौरे को व्यक्त करना आवश्यक है।							
अनुदान सं.64-भारत का सर्वोच्च न्यायालय							
3.	2014.00.101.01.00.33 न्यायिक प्रशासन	0.50	-	-	0.50	0.57	0.07
अनुदान सं.99-दमन एवं दीव							
4.	गृह मंत्रालय 2225.02.283.02.00.33 अन्य आवास	0.06	-	-	0.06	0.21	0.15
	योग						**100.04**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.5.5 विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रति प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012 तथा 5 अक्तूबर 2012) कि विषय शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर न.स./स.न.स. के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक जो भी कम हो, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो या मौजूदा निर्माणों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि निम्न 131 मामलों में कुल ₹407.07 करोड़ की निधियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान

यद्यपि ₹99.82 करोड़ का एक प्रावधान 2552.00.238.00.33-उत्तर पूर्वी औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (उ.पू.औ.नि.प्रो.नी.) 2007 के अंतर्गत किया गया था।

संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना संवर्धन किया था जिसके कारण नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाएं आकर्षित हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.8 : विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.1-कृषि एवं सहकारिता विभाग							
1.	4401.00.113.13.00.53 खेती मशीनरी प्रशिक्षण एवं निरीक्षण संस्थान	2.50	-	-	2.50	3.42	0.92
मंत्रालय नं बताया (जनवरी 2014) कि वर्तमान में चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय किया गया था तथा इसलिए संवर्धन अनुमत था। उत्तर, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 21 मई 2012 की दृष्टि में तर्कसंगत नहीं है।							
अनुदान सं.4-परमाणु उर्जा विभाग							
2.	68 मामले अनुबंध 4.1						218.06
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।							
अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजनाएं							
3.	4801.03.104.04.00.52 फास्ट ब्रीडर रियेक्टर	4.45	-	-	4.45	5.92	1.47
4.	4801.03.104.04.00.53 फास्ट ब्रीडर रियेक्टर	0.03	-	-	0.03	0.33	0.30
अनुदान सं.19-संस्कृति मंत्रालय							
5.	4202.04.104.01.00.53 भवन	3.00	-	-	3.00	5.16	2.16
मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि चालू कार्यों के अंतर्गत निधियों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु संवर्धन को मुख्य शीर्ष से बचतों से पूरा किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस संवर्धन को संसद की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जाना चाहिए था।							
अनुदान सं.28 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय							
6.	4552.00.800.03.00.53 एन.ई.सी. स्टाफ हेतु आवास स्थान/एन.ई.सी अतिथि गृह	0.50	-	-	0.50	1.17	0.67
मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2014) कि अनभिप्रेत चूक वर्तमान अनुदेशों की गलत व्याख्या करने के कारण हुई।							
अनुदान सं.54-पुलिस							
7.	4055.00.203.02.02.53 भा.ति.सी.पु. हेतु आवासीय भवन (मुख्य निर्माण कार्य)	30.92	-	-	30.92	36.80	5.88
8.	4055.00.203.01.01.53 महानिदेशक सी.सु.ब.-सीमा चौकी	117.24	-	-	117.24	120.08	2.84
9.	4055.00.203.01.02.53 कार्यालय भवन सी.सु.ब.	334.93	-	6.00	340.93	347.09	6.16
10.	4055.00.216.07.01.52 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	0.20	-	-	0.20	0.42	0.22
11.	4055.00.216.13.01.52 राष्ट्रीय जांच अभिकरण	0.20	-	-	0.20	0.37	0.17
गृह मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि दो मामलें में जहाँ संवर्धन ₹50 लाख से अधिक नहीं था, वित्त मंत्रालय के अनुदेश उपयुक्त नहीं थे तथा उसे अनुदान में से उपयुक्त बचतों से संवर्धन हेतु अधिकार दिया गया था। मंत्रालय का उत्तर 21 मई 2012 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं था। अन्य मामलों के लिए, उत्तर फिर भी उन कारणों को संदर्भ नहीं करता जो संसद की पूर्वानुमति के बिना संवर्धन का कारण बने।							
अनुदान सं.61-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय							
12.	4250.00.800.03.03.52 महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम-मशीनरी तथा उपकरण	0.34	-	-	0.34	0.46	0.12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग							
13.	12 मामले (अनुबंध 4.1)		-	-			29.15
अनुदान सं.96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह							
14.	21 मामले (अनुबंध 4.1)		-	-			27.27
अनुदान सं.98-दादरा एवं नागर हवेली							
15.	गृह मंत्रालय 4055.00.207.01.00.53 जिला पुलिस	1.00	-	-	1.00	1.92	0.92
16.	4055.00.211.01.00.53 भवन	0.51	-	-	0.51	1.00	0.49
17.	उच्चतर शिक्षा विभाग 4202.01.202.05.00.53 भवन	5.25	-	-	5.25	8.25	3.00
18.	कृषि मंत्रालय 4403.00.101.10.00.53 निर्माण	0.91	-	-	0.91	1.16	0.25
19.	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 4406.01.070.06.00.53 निर्माण	1.04	-	-	1.04	3.91	2.87
20.	जल संसाधन मंत्रालय 4711.02.103.01.00.53 गुजरात सरकार को देय शेयर पूंजीगत परिव्यय	1.75	-	-	1.75	3.64	1.89
21.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम मंत्रालय 4851.00.101.02.00.53 नई औद्योगिक सम्पदा का विकास	3.00	-	-	3.00	3.43	0.43
22.	जल संसाधन मंत्रालय 4705.00.201.00.00.53 अन्य मदें	0.00	-	-	0.00	55.20	55.20
23.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 4210.03.105.04.00.53 अन्य मदें	10.42	-	-	10.42	12.17	1.75
24.	विद्युत मंत्रालय 4801.05.101.09.00.53 अवसंरचना विकास	52.00	-	-	52.00	83.07	31.07
अनुदान सं. 99-दमन एवं दीव							
25.	शहरी विकास मंत्रालय 4055.00.211.01.0053 भवन	1.40	-	-	1.40	2.18	0.78
26.	4059.80.052.02.00.52 क्रय	0.20	-	-	0.20	0.23	0.03
27.	4215.01.800.01.00.53 अन्य मदें	3.00	-	-	3.00	3.70	0.70
28.	4801.05.095.01.00.53 दमन एवं दीव	1.00	-	-	1.00	1.25	0.25
29.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 4406.02.110.01.00.53 वनों का विकास	0.95	-	-	0.95	2.32	1.37

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.100-लक्षद्वीप							
30.	शहरी विकास मंत्रालय 4711.02.103.03.00.53 तटीय क्षेत्रों की रक्षा	4.75	-	-	4.75	8.36	3.61
31.	शहरी विकास मंत्रालय 5452.01.800.03.00.53 भवन	3.10	-	-	3.10	3.80	0.70
32.	शहरी विकास मंत्रालय 4059.60.051.26.00.53 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	-	-	0.50	0.58	0.08
33.	शहरी विकास मंत्रालय 4059.80.051.26.00.53 भवन	1.00	-	-	1.00	7.29	6.29
	योग						**407.07**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.6 पूंजी लेखे के बजाए तथा प्रतिक्रम में राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वित्तीय वार्षिक विवरणियां, अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग रखेंगी। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धांतों की अनुपालना की जानी चाहिए।

पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा प्रतिक्रम में राजस्व प्रकृति के व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किए गए थे। फिर भी कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत ससंदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती लेखापरीक्षा पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय का अधिग्रहण), जहाँ विषय शीर्ष यथा 51 से 56 तथा 60 से संबंधित है, को वर्गीकृत करता है। ये विषय शीर्ष[1] पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही उपयोग किया जाना चाहिए।

[1] संदर्भ अनुबंध-4.2

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं के साथ-साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा में वे मामले उजागर हुए जहाँ से विषय शीर्ष, राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ प्रयुक्त हुए थे जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जिसके कारण पूंजीगत व्यय को ₹1,331.39 करोड़ से कम बताया गया।

तालिका 4.9: पूंजीगत प्रकृत्ति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	2070	52	0.02	विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि ऐसे व्यय हेतु प्रावधान अनुदानों हेतु विस्तृत मांग 2014-15 में पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। विभाग ने यह भी बताया (फरवरी 2014) कि मु.शी. 2070 तथा 2435 के अंतर्गत व्यय मशीनरी तथा उपकरण को चलाने हेतु अपेक्षित उपभोज्यों पर किया गया था तथा उन्हें राजस्व वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मशीनरी तथा उपकरण को चलाने हेतु अपेक्षित उपभोज्यों पर व्यय को विषय श्रेणी प्रशासनिक व्यय अथवा संविदात्मक व्यय तथा आपूर्तियों में वर्गीकृत उपयुक्त विषय शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
2.		2401	51	0.47		
3.		2401	52	0.94		
4.		2435	52	0.05		
5.	3-पशुपालन, विभाग तथा डेरी विकास	2403	52	0.93	वे.ले.का. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि व्यय को विषय अनुदानों हेतु विस्तृत मांग में बजट प्रावधान के अनुसार दर्ज किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन विषय शीर्षों पर व्यय प्रवृत्ति में पूंजीगत है तथा इनका न तो प्रावधान किया जा सकता है और न अंतिम रूप से अनुदान के राजस्व वर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है।
6.		2403	53	0.15		
7.		2404	53	0.59		
8.		2405	51	0.10		
9.		2405	52	2.10		
10.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2037	52	46.96	सी.जी.डी.ए. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि शीर्ष के अंतर्गत प्रारम्भिक आवंटन ₹89.40 करोड़ था तथा इस शीर्ष से बचतों का उपयोग अन्य राजस्व विषय शीर्ष के अंतर्गत किया गया था न कि पूंजीगत मुख्य शीर्ष को।	उत्तर इस तथ्य को धुंधला करता है कि ₹46.96 करोड़ के पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय को गलत प्रकार से राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
11.		2075	53	7.10	उत्तर प्रतीक्षित	
12.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	3403/ 3451	52	0.22	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2014)।	

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
13.	32-आर्थिक कार्य विभाग	3054	53	1102.45	विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि राजस्व वर्ग के अंतर्गत व्यय को दर्ज करने के मामले की बजट प्रभाग के साथ जांच की जाएगी।	
14.	41-राजस्व विभाग	2070	52	0.04	उत्तर प्रतिक्षित	
15.	43-अप्रत्यक्ष कर	2037	52	13.06	उत्तर प्रतिक्षित	
16.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210	51	2.02	उत्तर प्रतिक्षित	
17.			52	8.99		
18.	52-गृह मंत्रालय	2052	52	0.53	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगति को वर्ष 2013-14 हेतु जारी शुद्धिपत्र के माध्यम सुधार दिया गया है।	अभ्युक्ति वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुद्धि करने हेतु गलत प्रकार से प्राप्त प्रावधान का अभ्यपर्ण करके सही विषय शीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया जाना चाहिए था।
19.		3454	52	15.00		
20.	90-अंतरिक्ष विभाग	3402 एवं 3252	52	40.04	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि इसके द्वारा अगस्त 2013 में यह बताते हुए एक परिपत्र जारी कर दिया गया था कि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत विषय शीर्ष '52' केवल कार्यालय उपकरण की खरीद तक सीमित है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय उपकरण पर व्यय को अनुदान के राजस्व वर्ग में विषय शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
21.	93-कपड़ा मंत्रालय	2851	52	0.01	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2013)	
22.	104-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51, 52 एवं 53	19.61	उत्तर प्रतिक्षित	
23.		2702	51, 52 एवं 53	65. 20	उत्तर प्रतिक्षित	
24.		2711	51 एवं 52	4.51	उत्तर प्रतिक्षित	
25.		3075	52	0.30	उत्तर प्रतिक्षित	
	योग			1331.39		

व्यय आंकड़े स्रोत:ई-लेखा/समेकित सारांश

4.6.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, श्रेणी 6 के अलावा अन्य से संबंधित विषय शीर्षों को राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकृत करता है।

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखे के साथ-साथ ई-लेखा लेखा परीक्षा संवीक्षा ने कई मामलों को प्रकट किया जहाँ राजस्व प्रकृत्ति के विषय शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। इन गलत वर्गीकरण का परिणाम संघ सरकार के राजस्व व्यय को ₹101.25 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.10: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.स	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4-परमाणु ऊर्जा विभाग	4861 एवं 5401	27	2.82	उत्तर प्रतिक्षित	
2.	52- गृह मंत्रालय	4216	27	0.06	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि राजस्व वर्ग के अंतर्गत वर्तमान शीर्ष को बदलने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं।	
3.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	5051	01	6.22	कार्यालय प्र.मु.ले.नि. ने बताया (नवम्बर 2013) कि ब.अ. 2013-14 में पूंजीगत के अंतर्गत किए गए प्रावधान को राजस्व शीर्ष में अंतरित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।	यह अभ्युक्ति वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है।
4.		5051	50	0.69	कार्यालय प्र.मु.ले.नि. ने बताया (नवम्बर 2013) कि 'अन्य प्रभार' उपयुक्त शीर्ष है क्योंकि सू.प्रौ. पर व्यय कार्यालय चलाने के व्ययों से संबंधित नहीं है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' विषय श्रेणी 6 के अंतर्गत नहीं आता है जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के, अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के लिए है।
5.		5052	50	0.76		
6.	94-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	2.00	मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वह शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक सलाहकार पर व्यय को दर्ज करने के मामले को वित्त मंत्रालय के साथ नए अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पहले उठायेगा।	
7.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4059/ 4401/ 4406/ 4801/ 5052/ 5452	28/21/ 50/43/ 30	26.26	उत्तर प्रतिक्षित	
8.	100-लक्षद्वीप	4851	27	0.03	उत्तर प्रतिक्षित	
9.	101-शहरी विकास विभाग	4217	32	55.00	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2013) कि 2011-12 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुपालन करते हुए तथा एन.सी.आर. योजना बोर्ड के साथ सलाह से विषय शीर्ष 'निवेश' को 2013-14 हेतु अ.वि.मां. में जगह दी गई है।	मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर सही नहीं है। अनुदान के राजस्व वर्ग में उपयुक्त विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' है।

क्र.स	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
10.	104-जल संसाधन मंत्रालय	5075	01 03 06 11 13 20 43 50	7.41	उत्तर प्रतिक्षित	
योग				101.25		

4.6.3 पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली 1990 का नियम 31, अनुबंधित करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित संपत्ति का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

इसके अतरिक्त सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48 में संदर्भित परिशिष्ट 3 का पैरा 4 अनुबंधित करता है कि बजट में कोई एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जहां आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु तुरंत उपाय प्रदान किए जाने हैं अथवा ऐसी परियोजना/योजना जिस पर प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने हेतु एवं वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किए जाने हेतु मूल में स्वीकार किया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली का नियम 8 भी अनुबंधित करता है कि विषय शीर्ष '42 एक मुश्त प्रावधान' का उपयोग, योजनाओं, जिसके प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हों, के संबंध में व्यय को दर्ज करने हेतु किया जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में अवसरंचना परियोजनाओं के लिए दी गयी सहायता को दर्शाने वाले ₹457.55 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसरंचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में सहायता अनुदान के रूप में, एक समय या आस्थगित, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के प्रति शीर्ष 5475 अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय,12-अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण हेतु सहायता के तहत दर्ज करना उल्लेखित नियमावली के विपरीत था। इस व्यय को उपयुक्त रूप के अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत व्यय हेतु प्राप्त ₹457.55 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो अनुबंधित करते हैं कि एकमुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों के अनुसार विवरण दिया जाना चाहिए।

मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2014-15 के दौरान व्य.अं.वि. के अंतर्गत व्यय को विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया जाएगा। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' पूंजीगत प्रभाग के विषय श्रेणी 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत आता है न कि राजस्व प्रभाग में।

वित्त मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि लेखापरीक्षा का निष्कर्ष गलत है क्योंकि निर्गम पूंजीगत व्यय के लिए था। उसने यह भी बताया कि विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' के अंतर्गत जारी व्यय के मामले में सृजित पूंजी का स्वामित्व सरकार के पास नहीं रहता है क्योंकि इस मामले में अनुदान अवधि की समाप्ति पर स्वामित्व प्रयोजककर्ता को हंस्तारित किया जाएगा।

उत्तर सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 215(3)(1) के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रायोजित परियोजनाओं तथा योजनाओं के वित्तपोषण का व्यवहार करते हुए, जहाँ यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रालय/विभाग परियोजनाओं का वित्तपोषण करते समय एक अनुबंध प्रदान करेगा कि ऐसी निधियों में सृजित अथवा अर्जित भौतिक तथा प्रज्ञात्मक परिसम्पत्तियों में स्वामित्व प्रायोजक का रहेगा।

4.6.4 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है और संगठन के दिन प्रति दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे के साथ-साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने ऐसे कई मामले उद्घटित किये जहाँ राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जो राजस्व व्यय के अधिक बताए जाने/कम बताए जाने तथा ₹310.96 करोड़ तक संघ सरकार के राजस्व घाटे पर भी प्रभाव होने में परिणत हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के बीच गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर
	पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण			
1.	11-वाणिज्य विभाग	29.90	गुना, मध्य प्रदेश, 'फुटवियर डिजाईन एवं विकास संस्थान की शाखा की स्थापना' हेतु फुटवियर डिजाईन एवं विकास संस्थान को जारी राशि को विषय शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत पूंजीगत प्रभाग में प्रावधान/दर्ज किया गया था। इस मामले में सही विषय शीर्ष अनुदान के राजस्व प्रभाग में '35-परिसम्पति सृजन हेतु अनुदान' होना चाहिए था।	वाणिज्य विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है तथा संबंधित प्रशासनिक प्रभाग को 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में आवश्यक सुधार करने हेतु अनुरोध किया जा रहा था।
2.	28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	21.53	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत वायु संयोजकता के प्रति व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण/आर्थिक सहायता को पूरा करने हेतु व्यय को उपयुक्त विषय शीर्ष 33-आर्थिक सहायता के बजाए शीर्ष 4552.00.202.03.00.54 के अंतर्गत प्रावधान/दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2013) बताया कि वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में एक नए लेखा शीर्ष खोला जा रहा था। मंत्रालय ने गलत वर्गीकरण को जानकारी की कमी को आरोपित किया (फरवरी 2014)।
3.	32-आर्थिक कार्य विभाग	24.22	अफ्रीका में 33 उच्च कर्जदार गरीब देशों हेतु बहुपक्षीय ऋण राहत पहलकदमियों (एम.डी.आर.आई.) के प्रति अफ्रीकी विकास निधि (अ.वि.नि.) को भा.स. द्वारा किए गए कुल ₹2.11 करोड़ के अंशदान तथा अ.वि.नि. के प्रति भा.स. द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाले ₹22.11 करोड़ का राजस्व प्रभाग में सही विषय शीर्ष '32-अंशदान' का संचालन करने के बजाए विषय शीर्ष '54-निवेश' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज/प्रावधान किया गया था। मामला नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1. में भी इंगित किया गया था।	आर्थिक कार्य विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2013-14 हेतु अ.वि.नि. के एम.डी.आर.आई. के प्रति अंशदान के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नया विषय शीर्ष 3466.00.104.01.00.32 स्वीकृत कर दिया गया है। अ.वि.नि. को अंशदान के कारण 2012-13 के दौरान ₹22.11 के संबंध में इसने बताया कि मु.शी. 3466 के अंतर्गत नया विषय शीर्ष खोले जाने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
4.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	59.18	भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय (एक स्वायत्त निकाय) को इसके परिसर के विकास हेतु जारी राशि को अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' में दर्ज करने के बजाए इसे विषय शीर्ष '50- अन्य प्रभारों' के अंतर्गत अनुदान (मुख्य शीर्ष 5052) के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि 2013-14 के दौरान, विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' को मुख्य शीर्ष 3052 के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया गया है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर
5.	90-अंतरिक्ष विभाग	4.44	अंतरिक्ष विभाग द्वारा कुल ₹4.44 करोड़ के विनिमय परिवर्तन को 'राजस्व प्रभाग' के बजाए 'पूंजीगत प्रभाग' (मु.शी. 5252 विषय शीर्ष 60) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि नई परियोजनाओं को तैयार करने तथा अ.वि.मां. में उपयुक्त प्रावधान करने हेतु, विनिमय दर सहित आयातित मद के प्रापण पर किए गए व्यय पर विचार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनिमय परिवर्तन को राजस्व प्रभाग में अलग से दर्ज किया जाना होता है तथा विनिमय परिवर्तन को शामिल न करते हुए परियोजना पर व्यय को परियोजना शीर्ष के 'पूंजीगत प्रभाग' के अंतर्गत दर्ज किया जाना है।
राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति		**139. 27**		
राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण				
6.	90-अंतरिक्ष विभाग	444.69	अंतरिक्ष विभाग ने अपने आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2007 में स्पष्ट किया कि एक वर्ष से अधिक के जीवन वाले उपग्रहों (ऐसे उपग्रहों हेतु लांच सेवाओं सहित) के मामले में 'आपूर्तियों तथा सामग्रियों' तथा 'अन्य प्रभारों' पर व्यय को 'अन्य पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया जाए। ₹444.69 के व्यय की 'राजस्व प्रभाग' के अंतर्गत विषय शीर्ष '21 आपूर्तियां एवं सामग्रियां' तथा '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था जिसे वर्तमान आदेशों के अनुसार 'पूंजीगत प्रभाग' के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए था।	अं.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि इसने अगस्त 2013 में यह बताते हुए एक परिपत्र जारी किया था कि एक वर्ष से अधिक के जीवन वाले वाहनों तथा उपग्रहों के लांच के संबंध में सामग्रियों/संघटकों/बाहरी संरचना पर किए गए व्यय तथा उपग्रहों को लांच करने हेतु बाहरी अभिकरण से प्राप्त लांच सेवाओं पर व्यय को भी '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतगत दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। अं.वि. ने यह भी बताया कि भविष्य में इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
7.		5.54	मशीनरी तथा उपकरण (चार मामले[2]) के अधिग्रहण पर व्यय को पूंजीगत प्रभाग में सही मुख्य शीर्ष तथा विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' में संचालित करने के बजाए विषय शीर्ष '21' के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में वर्गीकृत किया गया था।	अं.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि इसने अगस्त 2013 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' केवल कार्यालय उपकरण के प्रापण तक सीमित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मशीनरी एवं उपकरण के अधिग्रहण पर व्यय को अनुदान के पूंजीगत वर्ग में विषय शीर्ष कोड '52' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
राजस्व व्यय का अधिकथन		**450.23**		
समग्र प्रभावः राजस्व व्यय का ₹310.96 करोड़ तक का अधिकथन				

इस प्रकार का गलत वर्गीकरण जवाबदेही को अप्रभावी कर देता है, और लेखांकन में पारदर्शिता, पूर्णता, समग्रता, स्थिरता तथा तुलनीयता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को

[2] 3402.00.101.01.00.21, 3402.00.101.10.00.21, 3402.00.101.19.00.21, 3402.00.101.09.00.21

विफल कर देता है और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोबारा न हो के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 (2) में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के सिद्धांतों के अनुपालन में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचलन का प्रभाव सरकार के राजस्व घाटे के न्यूनोक्ति अथवा अधिकथन पर होता है।

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹ 698.07 करोड़ तक अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹1781.62 करोड़ तक की न्यूनोक्ति के रूप में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹ 1,083.55 करोड़ के पूंजीगत व्यय न्यूनोक्ति में हुआ। इसी प्रकार वित्त वर्ष के दौरान ₹ 1083.55 करोड़ के बराबर राशि अधिकथन में हुआ।

4.7 अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.7.1 भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे " भारत की समेकित निधि " कहा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) इसके अतिरिक्त प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धनराशियों को भारतीय लोक लेखा में जमा किया जाएगा। इस प्रकार, इसके द्वारा प्राप्त की गई सभी अन्य सार्वजनिक धनराशियों के संबंध में, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार प्राप्त सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है तथा इसमें से संबंधित संवितरण भी किए जाते हैं।

कोयला मंत्रालय की वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान सं.10 के संबंध में विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इ.लि.) द्वारा उनकी ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु जमा राशियों को जमा कार्य के रूप में लोक लेखे के माध्यम से लेन-देनों को पारित किए जाने के बजाए कोयला समृद्ध क्षेत्रों के भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रति भारत की समेकित निधि से किए गए पूंजीगत व्यय में कटौती के रूप में माना जा रहा था।

कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 4803.00.800.01.00.54 में ₹309.82 करोड़ का व्यय किया गया था तथा व्यय को को.इ.लि. से प्राप्तियों के साथ पूरा किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को

को.इ.लि. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति प्राप्त किया गया था इसलिए लेन-देनों को भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

आगे यह पाया गया था कि किया गया व्यय ₹309.82 करोड़ था जबकि व्यय की कटौती में लेखे में समायोजित वसूलियां ₹309.85 करोड़ की थी इसलिए ₹0.03 करोड़ का अव्याख्यात अंतर है।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि कोयला समृद्ध क्षेत्रों के संबंध में व्यय को लघु शीर्ष "117-सार्वजनिक निकायों अथवा निजी व्यक्तियों हेतु किए गए कार्यों के लिए जमा" के साथ मु.शी. 8443 सिविल जमा के अंतर्गत दर्ज किए जाने हेतु पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

4.7.2 विषय शीर्ष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों तथा सहायता अनुदान-वेतन का परिचालन न होना

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रभावी '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' तथा 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी 36-सहायता अनुदान वेतन नए शीर्षों का वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के नीचे विषय श्रेणी-4 के अंतर्गत विषय शीर्षों की सूची में प्रारंभ किया।

वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि इन विषय-शीर्षों को कुछ नमूना परीक्षित मंत्रालयों में परिचालित नहीं किया गया था, जबकि वेतन संघटकों के प्रति स्वायत्त निकायों आदि को अनुदान जारी किए गए है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.12: विस्तृत शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का परिचालन न होना

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
1.	9-नागरिक विमानन मंत्रालय	भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एक स्वायत्त निकाय) को ₹1.88 करोड़ की राशि उनके कर्मचारियों के वेतन हेतु जारी की गई जिसे '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वर्ष 2013-14 हेतु अ.वि.मां. में संशोधन हेतु आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
2.	12- औद्योगिक नीति एवं प्रौन्नति विभाग	राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (एन.एम.सी.सी.) दिनाँक 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। एन.एम.सी.सी. के स्थापना व्ययों अर्थात् वेतन, समयोपरि भत्ता, चिकित्सा उपचार आदि के प्रति किए गए ₹2.12 करोड़ के व्यय को अनुदान के राजस्व वर्ग में उप-शीर्ष 2852.80.800.19- राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के अंतर्गत विषय श्रेणी 1 (कार्मिक सेवाए तथा लाभ) तथा विषय श्रेणी 2 (प्रशासनिक व्यय) से संबंधित विभिन्न विषय शीर्षों में दर्ज किया गया था। एन.एम.सी.सी. के संबंध में आवंटन/व्यय को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' तथा '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि एन.एम.सी.सी. समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अभी भी स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत नहीं की गई है तथा जैसे ही यह पंजीकृत होती है इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत बजटीय आवंटन प्रदान किया जाएगा। उत्तर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तर्कसंगत नहीं है कि एन.एम.सी.सी. को डी.आई.पी.पी. के आदेश दिनाँक 6 अक्तूबर 2004 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय घोषित किया गया था।

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
3.	18-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान (भा.का.का.सं.) के वेतनों तथा अन्य स्थापना व्ययों के रूप में संवितरित ₹8 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' तथा '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत व्ययों को अलग-अलग दर्ज करने के बजाए विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान (सामान्य)' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में भा.का.का.सं. के संबंध में विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' खोला जाएगा।
4.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन, भत्तों आदि के भुगतान के प्रति खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) मुंबई को ₹25.96 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए विषय शीर्ष '20- अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2012-13 हेतु खा.ग्रा.उ.आ. को जारी निधियों में से ₹50.11 करोड़ के कुल व्यय में पेंशन के भुगतान के प्रति ₹38.13 करोड़ तथा या.भ. एवं आकस्मिकताओं के भुगतान के प्रति ₹11.98 करोड़ शामिल थे। 2012-13 के दौरान, पेंशन के भुगतान पर व्यय को दर्ज करने हेतु कोई अलग शीर्ष नहीं था तथा व्यय को "36-सहायता अनुदान वेतन" के बजाए विषय शीर्ष 2851.00.105.05.01.20-अन्य प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत दर्ज किया गया। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मई 2012 के संस्वीकृति आदेश के अनुसार वेतन एवं भत्तों के भुगतानों हेतु ₹25.96 करोड़ की राशि जारी की गई थी जिसे सही प्रकार से विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
5.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	वेतन एवं भत्ते के प्रति महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (म.गां.ग्रा.औ.सं.), वर्धा को ₹1.55 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि व्यय को योजनागत तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था क्योंकि वर्ष 2012-13 हेतु अ.वि.मां. में 'सहायता अनुदान वेतन' हेतु कोई अलग शीर्ष उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वेतन पर व्यय के प्रति अनुदानों के भुगतानों हेतु प्रावधानों को शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत प्राप्त किया जाना चाहिए था जो अप्रैल 2011 से प्रचालन में है।
6.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	मंत्रालय ने वेतन/सी.ई.ए./अ.या.रि./अवकाश नकदीकरण एवं चिकित्सा पूतिपूर्ति आदि के प्रति कॉयर बोर्ड, कोच्चि को ₹1.55 करोड़ की राशि जारी की तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों के संबंध में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी व्यय तथा गैर-वेतन व्यय को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था तथा नियमित कर्मचारियों के वेतन से संबंधित व्यय को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। यह नियमित कर्मचारियों के वेतनों पर किए गए व्यय तथा सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों पर व्यय के बीच अंतर दर्शाने हेतु किया गया है। मंत्रालय का उत्तर मई 2012 में जारी संस्वीकृति आदेश जिसने विशेष रूप से विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत अनुदान संस्वीकृत की थी, के विपरीत है तथा इसलिए स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि गलत वर्गीकरण को नवंबर 2012 में ठीक कर दिया गया था। फिर भी मंत्रालय का उत्तर ई-लेखा में प्रविष्टियों के विपरीत था ।
7.	88-पोतपरिवहन मंत्रालय	राष्ट्रीय जहाज डिजाईन एवं अनुसंधान केन्द्र (रा.ज.डि.अ.के.) को सहायता के प्रति ₹2.32 करोड़ के व्यय को शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसमें वेतन उद्देश्य हेतु अनुदान भी शामिल था। भा.स.वि. अधिनियम 2008, के प्रावधानों के अनुसार रा.ज.डि.अ.के. को इसकी सभी परिसम्पत्तियों तथा कर्मचारियों सहित भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय में समाहित हो गया था। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि विश्वविद्यालय को सहायता को बजट अनुमान 2013-14 में 'सहायता अनुदान सामान्य' तथा 'सहायता अनुदान वेतन' में बाँट दिया गया है तथा तदनुसार दर्ज किया गया है।

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
8.	90-अंतरिक्ष विभाग	वर्ष 2012-13 के दौरान '31 सहायता अनुदान सामान्य' एवं '36-सहायता अनुदान' शीर्षों के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग ने अपने स्वायत्त निकायों अर्थात् -राष्ट्रीय वायमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (रा.वा.अ.प्र.), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (पू.अ.अ.के.), भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.अं.प्रौ.सं.) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (भा.अ.प्रो.), अर्ध-चालक प्रयोगशाला (अ.च.प्र.) के प्रति प्रावधान प्राप्त किए तथा अनुदान जारी किए। इन स्वायत्त निकायों ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों को सृजन के प्रति कुल ₹76.73 करोड़ (रा.वा.अ.प्र. ₹5.39 करोड़; भा.अं.प्रौ.सं. ₹60.21 करोड़ तथा अ.च.प्र. ₹11.13 करोड़) का व्यय किया, अंतरिक्ष विभाग ने विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत बजट प्रावधान प्राप्त नहीं किया और तदनुसार वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग लेखे में व्यय दर्ज किया। आ.वि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2013 कि वर्ष 2013-14 के लिए अ.वि.मां. में प्रावधान कर लिया गया है।
9.	93-कपड़ा मंत्रालय	मंत्रालय ने राज्य सरकारों की प्रवर्तन मशीनरी हेतु वेतन के भुगतान के प्रति किए गए ₹1.25 करोड़ के व्यय को शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए शीर्ष 3601.01.726.05.00.31- 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि मामले को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में अनुपालना के लिए नोट कर लिया गया है।

4.7.3 अनुदान के समान प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8 छठे स्तर अर्थात, विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिकता इकाई का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले कुछ विषय शीर्ष और व्यय के विवरण **अनुबंध 4.2** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 23 अनुदान/विनियोग में 30 मामलों में कुल ₹2,992.75 करोड़ की निधियाँ विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात विषय शीर्षों में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका निम्न तालिका में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.13: विषय शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4-परमाणु ऊर्जा विभाग	11.33	3401/50 एवं 34	विभाग विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, सोसाइटियों तथा गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता के अंतर्गत अनुदान प्रदान करता है। तथापि शीर्ष 'सहायता अनुदान' परिचालित करने के स्थान पर व्यय 'अन्य प्रभार' (₹3.64 करोड़) तथा छात्रवृति/वजीफा (₹7.69 करोड़) विषय -शीर्षों के अंतगत दर्ज किया गया था।	(प.उ.वि.) ने बताया (अक्तूबर 2013) कि इन दोनों विषय -शीर्षों, नामतः 'छात्रवृति/वजीफा' तथा 'अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज व्यय की प्रकृति वित्तीय शक्तियों की प्रत्यावर्तन नियमावली के वर्गीकरण के अनुसार थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के लेखे में विश्वविद्यालयों, समितियों आदि को सहायता का वि.श.प्र.नि. के अनुसार शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधान/वर्गीकरण किया जाना चाहिए था तथा न कि 'छात्रवृत्ति/ वजीफा' अथवा 'अन्य प्रभारों' के अंतर्गत

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
2.	6- रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	2.50	2852/31	हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड द्वारा देय ब्याज को '64-बट्टे खाते/ हानियों' के स्थान पर '31-सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 31 मई 2013 को लेन-देन किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि नया विषय शीर्ष '64- बट्टे खाता/हानियां' बना लिया गया है और वर्ष 2013-14 हेतु अनुदान के लिए विस्तृत मांग में मुद्रित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि संशोधन केवल अगले वित्तीय वर्ष के लिए की गई थी।
3.	10-कोयला मंत्रालय	24.21	2230/32	कोयला खान भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक प्रभारों के कारण ₹24.21 करोड़ तथा अन्वेषण, अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के कारण ₹231 करोड़ के व्यय किए गए थे तथा अंशदान के रूप में इनका गलत प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। इन व्ययों को, कोयला एवं लिगनाईट क्षेत्र के प्रति विशिष्ट सहायता होने से, संबंधित विषय शीर्षों के अंतर्गत 'सहायता अनुदान सामान्य' के रूप में सही प्रकार से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि मुख्य शीर्ष 2230 के अंतर्गत व्यय को इसके आरंभ से ही कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है तथा मुख्य शीर्ष 2803 के अंतर्गत व्यय के दर्ज किये जाने को लेखा महा नियंत्रक के परामर्श से ठीक किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि व्यय को मुख्य शीर्ष 2803 के अंतर्गत विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने के कार्य की शुरूआत कर दी गयी है।	
4.		231.00	2803/32			
5.	11-वाणिज्य विभाग	34.00	3453/31	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को ₹34 करोड़ का सहायता-अनुदान '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत कोलकोता परिसर (सिविल कार्य) के निमार्ण पर व्यय को पूरा करने के लिए जारी किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ नोट कर ली गई हैं और संबंधित प्रशासनिक प्रभाग में 2014-15 हेतु अनुदान की विस्तृत अनुदान हेतु मांग में सुधार करने के लिए भेजा जा रहा है।	
6.	12-औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग	2.56	2070/50	विषय शीर्ष 50-अन्य प्रभार में दर्ज ₹2.56 करोड़ के व्यय में से ₹1.33 करोड़ राशि का व्यय विभिन्न सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्यों के प्रति किया गया था, जिसे सही रूप में शीर्ष '27 प्रमुख निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि सिविल निर्माण कार्यों को प्रति किया गया ₹1.33 करोड़ का व्यय, योजना "पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा उन्नयन संगठन पे.वि.सु.उ.सं." से संबंधित है तथा इसे '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया गया था क्योंकि 'लघु निर्माण कार्यों' के अंतर्गत पे.वि.सु.सं. को आवंटित बजट केवल गैर-आयोजन गतिविधियों के लिए ही है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यय का वर्गीकरण वि.श.प्र.नि. के अनुरूप होना चाहिए जो व्यय को योजनागत तथा गैर-योजनागत के आधार पर अलग नहीं करती है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
7.	13-डाक विभाग	8.00	3201/32	डाक सेवा कर्मचारी कल्याण निधि को संवितरित सहायता अनुदान सही वि.शी. '31-सहायता अनुदान सामान्य' अथवा '36-सहायता अनुदान वेतन' के स्थान पर वि.शी. 32 के अंतर्गत दर्ज था।	डाक विभाग ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि टिप्पणियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।	इन मामलों को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 में इंगित किया गया था परंतु वितीय वर्ष 2012-13 में कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई थी।
8.		6.02	3201/50	यूनिवर्सल डाक यूनियन को किए गए अंशदान को सही विषय शीर्ष 32-अंशदान के स्थान पर गलत रूप से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।		
9.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	0.05	3425/ 2552/ 3475 वि.शी.- 52	₹0.05 करोड़ के व्यय को राजस्व मुख्य शीर्ष सहित पूंजीगत प्रकृति की विषय श्रेणी 6 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। आगे यह प्रकट हुआ था कि व्यय भार एवं माप पर अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता से संबंधित था जिसे सही प्रकार से सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि 2007-08 के पूर्व तक ये निधियां राज्यों की 'सहायता-अनुदान' के रूप में जारी होती थीं। 2007-08 से, विभाग ने केन्द्रीकृत रूप से मशीनों एवं उपकरणों के खरीद एवं उन्हें राज्यों/के.शा.क्षे. तक सीधे आपूर्ति करने का निर्णय लिया तथा प्रावधान की पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत मांग की गई थी। तथापि, इन्हें वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व व्यय में बदल दिया गया था। विभाग ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि जब भी ई.एफ.सी. तथा इसके दिशानिर्देश संशोधित किए जाएगें तथा राज्यों से सलाह प्राप्त की जाएगी 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।	विभाग का उत्तर (नवम्बर 2013) इस तथ्य के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं है कि किसी प्रकार में सहायता पर व्यय उपयुक्त मुख्य शीर्ष के नीचे 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य है।
10.	18- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	26.93	3451/50	आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर किये गये ₹26.93 करोड़ का व्यय दर्ज किया था गतिविधियां सेवा वितरण परियोजना की घटक थीं जिससे सेवा प्रदाता को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्किंग पर अग्रिम निवेश करना तथा सेवा प्रदान करना आवश्यक होता है, इसलिए मंत्रालय को व्यय को पृथक कर उन्हें विषय शीर्षों '13-कार्यालय व्यय' एवं '28-व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत वर्गीकृत करना चाहिए।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाव में बताया (नवम्बर, 2013) कि अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और-संबंधित अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते ही प्रदान कर दी जाएगी।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
11.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1363.56	4047/54	'पोतों, वायुयानों एवं बेड़ों के अधिग्रहण' से संबंधित व्यय को सही प्रकार से '54-निवेश' के स्थान पर '52-मशीनें एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित	इस मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था परंतु मंत्रालय द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई थी।
12.	44- विनिवेश विभाग	1.13	3451/28	₹12.10 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष '28 व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया था, जिसमें से ₹1.13 करोड़ विज्ञापन पर खर्च किया गया था जिसे मौजूदा नियमावली के अनुसार विषय शीर्ष '26-विज्ञापन एवं प्रचार' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त, 2013) कि इसके पास विज्ञापन एवं प्रचार हेतु कोई अलग विषय -शीर्ष नहीं है और विनिवेश से संबंधित विज्ञापन एवं प्रचार पर किया गया सारा व्यय विषय शीर्ष 28-व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उसने यह भी बताया (अक्तूबर, 2013) कि विज्ञापन एवं प्रचार से संबंधित व्यय को सही शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।	
13.	53-मंत्रिमंडल	310.38	12	व्यय, वायुयानों गृह के अनुरक्षण पर किया गया था, पर उसे विदेश यात्रा व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति वायुयान अनुरक्षण की है और वह '12-वि.या.व्य.' के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं है और उसे सही शीर्ष, '50 अन्य प्रभार' के अंतर्गत वर्गीकृत करना सही प्रतीत होता है।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि एक नया शीर्ष 2013.00.108.01.12, वी.वी.आई.पी. यात्रा हेतु प्रयुक्त वायुयानों के अनुरक्षण लागत के प्रति भुगतानों को विशेषकर दर्ज करने के लिए खोला गया है। आगे, मार्च 2014 में मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना में ऐसे व्यय को दर्ज करने हेतु वितीय वर्ष 2014-15 में अलग विषय शीर्ष '50' खोला गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि '12-विदेश यात्रा' व्यय वायुयानों के अनुरक्षण संबंधित व्यय को दर्ज करने हेतु सही विषय शीर्ष नहीं है।
14.	54-पुलिस	77.50	2055/52	व्यय कम्प्यूटरों आदि की खरीद पर किया गया था तथा अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष '52-मशीनें एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व लेखे से संबंधित उचित विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया ((सितम्बर, 2013) कि बजट नियंत्रक प्राधिकारों को व्यय को उचित विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के लिए परामर्श जारी कर दिया गया है।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
15.	57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	11.33	3475, 2215/31	मंत्रालय ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.), नई दिल्ली को मिजोरम में झुग्गी क्षेत्र के निर्माण-कार्य एवं असम में बाजार परिसर के निर्माण हेतु ₹11.33 करोड़ जारी किया था। पूरी राशि विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर विषय शीर्ष '31-सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज की गयी थी।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि निधियां सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु थीं। यह भी बताया गया कि सभी संबंधितों को निधियों को चिन्हित करने और लेखा के उचित शीर्ष के अंतर्गत व्यय के निर्गम के लिए, अनुरोध किया जा चुका है।	
16.		50.00	2217/32	मंत्रालय ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत ऋण जोखिम गांरटी कोष न्यास (ऋ.जो.गां.को.न्या.) की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ का व्यय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के स्थान पर शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया था।	मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि ऋ.जो.गां.को.न्या. को बैंकों से ऋण ले रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा न्यून आय समूह की ओर से गांरटी प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था। ऋ.जो.गां.को.न्या. का प्रस्तावित कॉर्पस ₹1000 करोड़ है। कॉर्पस हेतु ₹50 करोड़ के व्यय को 2012-13 हेतु अनुपूरक के प्रथम बैच में संसद की स्वीकृति के पश्चात तथा वित्त मंत्रालय तथा ले.म.नि. की सहमति से विषय शीर्ष अंशदान में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि यद्यपि शीर्ष संसद के अनुमोदन से सृजित किये गये थे, उपयुक्त व्यय वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली के अनुसार विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।
17.	63-विधि एवं न्याय मंत्रालय	708.18	3601 3602/31	विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय भवन, न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों हेतु रिहायशी आवास के निर्माण हेतु अनुदान दिऐ गऐ थे और उचित वि.शी. 35 के स्थान पर वि.शी. 31 के अंतर्गत दर्ज किये गये थे।	मंत्रालय नें बताया (जनवरी 2014) कि जुलाई 2010 में एक विशाल अग्नि के कारण, नये विषय शीर्षों के सृजन से संबंधित फाइलों के साथ लगभग सभी अभिलेख नष्ट हो गये थे। बाद के वर्षों में शीर्ष नहीं खोले गये क्योंकि वित्त मंत्रालय अथवा लेखापरीक्षा में से किसी को भी आपत्ति नहीं थी। यह भी बताया गया कि नये बजट शीर्ष संसद के अनुमोदन के पश्चात खोले जाएगें।	
18.	68-नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	0.39	2810/52	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर व्यय का वर्गीकरण विषय शीर्ष 'मशीनें एवं उपकरण' के अंतर्गत किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
19.	69-प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय	11.25	2061/50	भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद तथा प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र को प्रदत्त अनुदान सही विषय शीर्ष, अर्थात 31 या 36 के अंतर्गत दर्ज किये जाने के स्थान पर '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि वर्ष 2012-13 में विषय शीर्ष 36 के अंतर्गत कोई अलग बजट आवंटन नहीं हुआ था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' अप्रैल 2011 से प्रचालन में है।
20.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	0.76	3451/28	अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच सचिवालय, सऊदी अरब में भारत के सदस्यता शुल्क के प्रति व्यय को '32-अंशदान' के स्थान पर '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया था।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि शीर्ष 3451.090.10.01 के नीचे विषय-शीर्ष-32-अंशदान को खोलने के मामले को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया है।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अनुदान के उसी भाग में गलत वर्गीकरण हुआ था तथा वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो चुका है।
21.	90-अंतरिक्ष विभाग	42.89	3402/21	श्रम शक्ति अनुबंधों के द्वारा व्यावसायिक श्रम शक्ति सेवाओं की भर्ती पर किये गये व्यय (पाँच अलग उपशीर्षों के अंतर्गत) को विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	अं.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि यह 'राजस्व' तथा 'पूंजीगत' खंड के अंतर्गत विभिन्न व्ययों की बुकिंग को देखने के लिए एक समिति गठित करना प्रक्रिया में है।	
22.		30.70	5402/52	हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड के निर्माण केन्द्र में सुविधाओं के संवर्धन पर सिविल निर्माण कार्य के प्रति हुआ ₹30.70 करोड़ का व्यय मुख्य निर्माण कार्य (53) के स्थान पर विषय शीर्ष मशीनें एवं उपकरण (52) के अंतर्गत दर्ज किया गया।	अं.वि. ने मार्च 2014 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।	
23.	91- सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वन मंत्रालय	3.59	3454/52	व्यय, कम्प्यूटर आदि की खरीद पर किया गया था तथा अनुदान के राजस्व खंड के अंतर्गत विषय शीर्ष 52 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व लेखे से संबंधित सही विषय शीर्षें में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि संबंधित प्रभागों को भविष्य में बुकिंग को ठीक करने का निर्देश किया गया है। मंत्रालय द्वारा जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014 में यह फिर से दुहराया गया था।	
24.	93-वस्त्र मंत्रालय	10.00	2852/31	₹19.84 करोड़ के व्यय में से ₹10.00 करोड़ की राशि मैसर्स आई.टी.आई.लि. को वर्ष 2012-13 के दौरान राय बरेली, उत्तर प्रदेश में रा.फै.त.सं. में प्रशिक्षण केन्द्र एवं छात्रावास के निर्माण हेतु जारी की गयी थी और विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में अपेक्षित विषय शीर्ष को संबोधित प्रशासनिक प्रभागों के परामर्श से सृजित किया जाएगा।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि यह 2012-13 के दौरान अनुदान के उसी खंड के अंदर गलत वर्गीकरण है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
25.	93- वस्त्र मंत्रालय	2.63	2851/50	मंत्रालय ने ₹5.77 करोड़ का व्यय किया और उसे '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें से ₹2.63 करोड़ राशि के आवर्ती सहायता-अनुदान (योजना) के प्रति हुए व्यय को '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि वर्ष 2013-14 से वस्त्रोद्योग अनुसंधान संघ/ के.एस. पी.डी.सी./राज्य सरकार द्वारा परिचालित विद्युत करघों सेवा केन्द्रों का परिचालन व्यय '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा था।	
26.	94- पर्यटन मंत्रालय	11.70	3452/50	₹12.99 करोड़ के व्यय में से ₹11.70 करोड़ की राशि का यू.पी.एस., प्रिन्टरों, कम्प्यूटरों, सॉफ्टवेयर की खरीद, गत्यात्मक वेब पोर्टल के विकास, डिजाइन, पर्यटन मंत्रालय के हिन्दी बेबसाइट के विकास एवं होस्टिंग, सार्वभौम ऑनलाइन प्रचार 2011-12 की अदायगी आदि पर व्यय किया गया था और उसे '13-कार्यालय व्यय' के स्थान पर '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि 'कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी' की योजना, जिसके लिए मुख्य शीर्षों 3452 एवं 3601/3602 के अंतर्गत बजटीय प्रावधान, प्रदान किए गए है, मूल्यांकन के अधीन है एवं आगामी वित्तीय वर्ष से खरीद करने की प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी।	
27.	101-शहरी विकास विभाग	0.39	2217/20	विभाग ने ₹54.30 लाख का व्यय किया तथा इसे '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें से ₹38.44 लाख को कार्यक्रम प्रबंधन के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्शदाताओं की निगरानी हेतु किये गये व्यय को '28-व्यावसायिक सेवाओ' के स्थान पर विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर, 2013) कि कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभाग को व्यय को सही विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के साथ नए विषय शीर्ष के सृजन, यदि ऐसा वांछित/आवश्यक समझा जाए, हेतु प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण हेतु लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों से अवगत कर दिया गया है।	व्यय का प्रावधान करना तथा दर्ज करना वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के अनुसार होना चाहिए।
28.		0.33	2052/50	विभाग ने ₹1.60 करोड़ का व्यय किया और इसे विषय-शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें से ₹31.54 लाख का व्यय समाचार पत्रों आदि की आपूर्ति लागत के कारण तथा बैठकों में मनोरंजन के प्रबंध पर हुए ₹1.79 लाख को '13 कार्यालय व्यय' एवं '20 अन्य प्रशासनिक व्ययों' के स्थान पर इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।		

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
29.	102-लोक निर्माण कार्य विभाग	6.17	2059/53	गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु प्रबंध करने पर किये गये व्यय को विषय शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य', जिसमें निमार्ण कार्य, मशीने एवं उपकरण की मरम्मतों एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय भी शामिल है, के बजाए '53-मुख्य निर्माण कार्य' इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2013) कि निर्माण-कार्य, अस्थायी संरचना (सलामी मंच) के लिए होता है एवं आयोजन की समाप्ति के पश्चात इन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है। यह नियमावली में परिभाषित 'मुख्य निर्माण कार्य' के रूढ़ अर्थ का एक अपवाद है।	मंत्रालय का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय को दर्ज किया जाना वित्तीय शाक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के अनुसार होना चाहिए।
30.		3.27	2059/50	कम्प्यूटरीकरण की योजना से संबंधित व्यय को '50 अन्य प्रभारों' के बजाए '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	शहरी विकास मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारते हुए बताया (सितम्बर, 2013) कि वर्ष 2013-14 से कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत प्रावधानों को 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत चिन्हित कर दिया गया है।	तथ्य यह रहता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान के राजस्व खंड में गलत वर्गीकरण हुआ था।
	कुल	**2992.75**				

4.7.4 'अन्य देशों को सहायता को दर्ज करने हेतु विषय शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8, व्यय के सही वर्गीकरण उद्देश्य हेतु विवरण/परिभाषाओं सहित विनियोग की प्राथमिक इकाइयों, को निर्धारित करता है। किसी भी निकाय/प्राधिकरण को संवितरण सहायता अनुदान को विषय शीर्षों 31 (सहायता-अनुदान-सामान्य), 35 (पूंजीगत परिसंपत्तयों के सृजन हेतु अनुदान), 36 (सहायता-अनुदान-वेतन), के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर हुए व्यय का वर्गीकरण (32-अंशदान) के अंतर्गत किया जाता है।

विनियोग लेखे एवं अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नि.म.ले.प. की वित्त-वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 हेतु संघ सरकार लेखे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रमशः पैरा 2.12 एवं पैरा 4.4.4 तथा वर्ष 2011-12 संघ सरकार लेखे पर 2013 की प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.19 में इंगित करने के वाबजूद नौ मामलों में ₹1,516.65 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, को गलत रूप से दर्ज किया गया तथा विनियोग की प्राथमिक इकाई पर विषय शीर्ष '32-अंशदान' अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति विदेश सरकारों को सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों की थी, इसे विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत सही से दर्ज किया जाना था।

तालिका: 4.14 विदेशी सरकारों को प्रदत्त अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण	व्यय
1.	3605.00.101.09.00.32	बंग्लादेश को सहायता	279.73
2.	3605.00.101.11.00.32	नेपाल को सहायता कार्यक्रम	292.08
3.	3605.00.101.13.00.32	मालदीव को सहायता	16.43
4.	3605.00.101.14.00.32	म्यांमार को सहायता	121.11
5.	3605.00.101.15.00.32	अन्य विकासशील देशों को सहायता	25.37
6.	3605.00.101.20.00.32	अफ्रीकी देशों को सहायता	232.89
7.	3605.00.101.25.00.32	मध्य एशिया को सहायता	32.66
8.	3605.00.101.32.00.32	लैटिन अमरीकी देशों को सहायता	27.61
9.	3605.00.101.33.00.32	अफगानिस्तान को सहायता	488.77
कुल			**1,516.65**

यह ध्यान देने योग्य है कि मंत्रालय ने मंगोलिया को सहायता के कारण ₹0.75 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया था जबकि उपरोक्त नौ मामलों में मंत्रालय ने ₹1,516.65 करोड़ के व्यय को गलत प्रकार से विषय शीर्ष '32-अंशदान' को दर्ज किया।

मंत्रालय ने नि.म.ले.प. के संघ सरकार लेखे पर वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 4.19 के अपने उत्तर में बताया कि मुख्य शीर्ष 3605 में जिस विषय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त किये गये, वे वही थे जो 2010-11 में मौजूद थे। वि.श.प्र.नि. के अनुसार विषय शीर्ष 'अंशदान', 'अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सहायता पर व्यय को सम्मिलित करने वाले' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कोई संपूर्ण परिभाषा नहीं है बल्कि केवल एक समावेशी परिभाषा है। सा.वि.नि. का नियम 206 निर्धारित करता है कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में सहायता-अनुदान एक व्यक्ति अथवा एक सार्वजनिक निकाय अथवा एक ऐसे संस्थान को दिया जा सकता है जिसकी एक पृथक वैध इकाई हो। इस प्रकार, छात्रवृत्ति सहित सहायता-अनुदान, वि.श.प्र.नि. के अंतर्गत ऐसा करने में सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वायत्त संगठनों, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का आयोजन करने वाले स्वैच्छिक संगठन अथवा गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिणिक अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों को वजीफे एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासी संगठनों, सहकारी समितियों एवं समितियों अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा मनोरंजक कार्यों द्वारा अपने आप में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों का प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित कल्पों को संस्वीकृत किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, विदेशी सरकारों को परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता विषय शीर्ष 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है।

मंत्रालय का तर्क कि विदेशी सरकार को प्रदान सहायता समान्य वित्तीय नियमावली 2005 (सा.वि.नि.) के नियम 206 के अनुसार विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है, इस दृष्टांत से गलत है कि सा.वि.नि. का नियम 211(2) बताता है कि एक 'विदेशी राज्य' किसी भी अनुदान तथा अथवा कर्जे हेतु पात्र है। इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा कार्य 'अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग' तथा कार्यक्रम 'अन्य देशों के साथ सहयोग' के तहत योजना 'विदेशी सरकारों को सहायता अनुदान' के अंतर्गत विदेशी सरकारों को प्रदान किए जाने वाली सहायता अनुदान/सहायता हेतु बजटीय प्रावधान को विनियोग की अपयुक्त प्राथमिकता इकाई के अंतर्गत प्राप्त किया जाना तथा तदनुसार व्यय को लेखाओं में दर्ज किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.19 के संबंध में प्रस्तुत अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए बताया (अप्रैल 2014) कि अगर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते है तो किसी भी कारण से ऐसे सहायता अनुदान शीर्षों के अंतर्गत किसी भी संवर्धन को पूर्व संसदीय स्वीकृति अपेक्षित होगी जो कि एक उपयोगी हल नहीं होगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विदेशी सरकार को सहायता को 'सहायता अनुदान' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप सहायता अनुदान में कोई भी संवर्धन यदि अपेक्षित हो, को वर्तमान निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

4.7.5 लेखा के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का दर्ज किया जाना

जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राज्य जनजाति उप-योजना में योगदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) प्रदान किया गया है। जबकि, 'जनजाति क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखा विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796-जनजाति क्षेत्र उप योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना आपेक्षित है, एक पृथक लघु शीर्ष कोड अर्थात 794, को लेखे की मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची को निर्देश में 'जनजाति उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने के उद्देश्य हेतु उदृष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा ₹852.54 करोड़ की राशि वर्ष 2012-13 में 'जनजाति उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं इसे अनुदान सं. 95-जनजाति कार्य मंत्रालय में लेखा के लघु शीर्ष '796 के जनजाति क्षेत्र उप-योजना' अंतर्गत दर्ज किया गया था। तथापि, उसे लघु शीर्ष '794 जनजाति उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत प्रावधान एवं दर्ज करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वे.ले.का. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सही शीर्ष का वित्त वर्ष 2014-15 से डेबिट किया जाएगा।

4.7.6 अनुदानों की विस्तृत मांगों में गलत कोड शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान करना

लेखाओं की मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में वर्गीकरण कोड तथा उनकी नामावली, का विवरण शामिल है तथा संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा मानकीकृत करने हेतु लघु शीर्ष स्तरों को प्रयोग में लाया जाना होता है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी सिविल अनुदान सं. 20 में ₹15.35 करोड़ प्रावधान को प्राप्त किया तथा कार्यालय भवन पर व्यय को गलत प्रकार से मुख्य शीर्ष '4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय' उप-मुख्य शीर्ष '60-कार्यालय भवन' के अंतर्गत दर्ज किया। लेखे की मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची के अनुसार मुख्य शीर्ष '4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय', उप-मुख्य शीर्ष '01-कार्यालय भवन' सही कोड शीर्ष है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि "कार्यालय भवन" हेतु उप-मुख्य शीर्ष वित्तीय वर्ष 2001-02 से अनुदानों की विस्तृत मांगों में तथा र.ले.म.नि. द्वारा तैयार तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 से ले.म.नि., वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत र.म.(सिविल) के शीर्ष-वार विनियोग लेखे में भी '60-कार्यालय भवन' के रूप में प्रकट हो रहा है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सामान्य वित्तीय नियमावली अनुबंधित करती है कि व्यय अनुमानों को सही तथा पूरे लेखा वर्गीकरण के साथ तैयार किया जाना चाहिए तथा किसी भी संदेह के मामले में, इसे पहले ही वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग/ले.म.नि. से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4.7.7 लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 72 अनुबंधित करता है कि सरकारी लेन देनों के वर्गीकरण सामान्य नियम के अनुसार सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से घनिष्ठतः जुड़े होने चाहिए, न कि उस विभाग विशेष से जहाँ व्यय हुआ था। लेखे के मुख्य शीर्ष आमतौर पर सरकार के कार्यों के सदृश होते हैं जबकि लघु शीर्ष कार्यों क उद्देश्यों का प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रमों की पहचान करते हैं।

वर्ष 2012-13 हेतु पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान सं. 88 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से उजागर हुआ कि बांग्लादेश सरकार को, दो नदी मार्गों की सफाई एवं संचालन सहित अनुरक्षण हेतु ₹6.89 करोड़ की राशि अदा की गई थी तथा व्यय को गलत प्रकार से लघु शीर्ष 3605.00.101-अन्य देशों के साथ सहयोग के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

लेखाओं को मुख्य तथा लघु शर्षों की सूची में शामिल टिप्पणी के अनुसार, यह लघु शीर्ष अन्य देशों तथा स.रा. कार्यक्रमों को सामान्य सहायता पर व्यय को दर्ज करने के लिए है। विशिष्ट उद्देश्य हेतु व्यय को, लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में सम्मिलित सामान्य निर्देशें के अनुसार, लघु 798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत क्रियात्मक शीर्ष को दर्ज किया जाना अपेक्षित है। चूंकि वर्तमान मामले में किया गया व्यय विशिष्ट उद्देश्य के लिए था इसलिए इसे लघु शीर्ष '798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

प्रधान मु.ले.नि. ने बताया (नवम्बर,2013) कि ब.अ. 2013-14 में बांग्लादेश को सहायता हेतु मुख्य शीर्ष '3056' में प्रावधान किया गया है। लघु शीर्ष को '101' से बदलकर '798' करने के लिए एक शुद्धि-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।

4.7.8 गृह मंत्रालय में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गलत बुकिंग जारी रहना

वित्त मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, जब तक स्पष्ट रूप से ऐसा करने से छूट न दी गयी हो, सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके आवंटन का 10 प्रतिशत 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम' में परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान करना आवश्यक है। 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम' के विकास हेतु निधियो का मुख्य शीर्षों '2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र' '4552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय' तथा '6552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु ऋण' के अंतर्गत प्रावधान किया जाना चाहिए। बजट की स्वीकृति के पश्चात इन निधियों का बाद में व्यय करने के आशय से लेखों के कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक द्वारा मार्च 2012 में जारी निर्देशों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु नियत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किसी भी खर्च को सीधे-दर्ज नहीं किया जाना था।

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान सं. 54-पुलिस की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत ₹455.80 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

तालिका 4.15: गैर कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत व्यय दर्ज करना

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	प्रावधान	व्यय
4552.00.129.01 आवासीय भवन	265.00	251.68
4552.00.129.02 कार्यालय भवन	200.00	70.01
4552.00.130.01 आवासीय भवन	12.00	9.40
4552.00.130.02 कार्यालय भवन	69.98	47.66
4552.00.131.01 आवासीय भवन	25.02	17.21
4552.00.131.02 कार्यालय भवन	258.00	59.84
कुल		**455.80**

गैर क्रियात्मक शीर्ष में व्यय का दर्ज किया जाना वर्तमान अनुदेशों अनुसार अप्राधिकृत था। इस मुद्दे पर नि.म.ले.प. के संघ लेखे के प्रतिवेदनों में विगत दो वर्षों तक लगातार

टिप्पणी की गयी है, परंतु या तो विभाग या फिर ले.म.नि. द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गयी है।

4.7.9 लेखे के गलत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990 एवं मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची अनुबंधित करती है कि राज्यों को केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत एवं राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के अंतर्गत जारी किया गया सहायता-अनुदान एवं ऋणों को मुख्य शीर्ष '3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान' तथा '7601-राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना होता है।

अनुदान सं.17-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंधित विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि राज्य सरकारों द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खाद्य भण्डारण गोदामों के निर्माण हेतु ₹9.00 करोड़ का बजट उप-शीर्ष 2552.00.308.02 के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। इस प्रावधान का अनुदान हेतु अनुपूरक मांग (₹1.00 करोड़) द्वारा ₹10.00 करोड़ तक संवर्धन किया गया था। चूंकि मुख्य शीर्ष 2552-एक गैर-कार्यात्मक शीर्ष है, ₹10.00 करोड़ का समूचा प्रावधान, किसी मूल प्रावधान के बिना ही कार्यात्मक शीर्ष (2408.02.800.03) का पुनर्विनियोजन किया गया था।

लेखे का सही शीर्ष, जिसमें राशि का पुनर्विनियोजन किया जाना था, मुख्य शीर्ष '3601' होना चाहिए था। अतः ₹10.00 करोड़ की राशि लेखे के गलत शीर्ष के अंतर्गत गलत रूप में वर्गीकृत की गयी थी।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि यह कार्यात्मक शीर्ष वित्त वर्ष 2006-07 से ही परिचालित किया जा रहा है, जिसे उस समय गलती से सही नहीं किया जा सकता था। त्रुटि को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा था।

4.7.10 अनुपलब्ध विषय शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.), 1978 का नियम 8 व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु उनके वर्णनों/परिभाषाओं के साथ विनियोग के मानक प्राथमिकता इकाइयों को निर्धारित करता है।

रक्षा मंत्रालय (सिविल) से संबंधित अनुदान सं. 20 की जांच से उद्घटित हुआ कि कुल ₹853.24 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष '00' (मुख्य शीर्ष 2055 के साथ) के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो ई-लेखा पोर्टल का डिफाल्ट विषय शीर्ष निर्धारित है और वि.श.प्र.नि., नियम 8 के अंतर्गत वर्णित नहीं है।

म.नि.र.ले. ने बताया (सितम्बर 2013) कि 2012-13 के दौरान ₹853.24 करोड़ की बुकिंग जम्मू एवं कश्मीर लाईट इंफेंटरी (ज.क.ला.इ.) हेतु लेखे शीर्ष 2055.104.02.00.00 अंतर्गत दर्ज की गई थी क्योंकि विषय शीर्ष राजस्व पुस्तिका, ऋण एवं प्रेषण (रा.ऋ.प्रे.) शीर्ष के अनुसार नहीं खोला गया था तथापि, ज.क.ला.ई. को, रा.ऋ.प्रे. पुस्तिका में संशोधन करने का अधिकार है इसलिए इसमें संशोधन आरंभ करने के लिए निर्देश दिया जा रहा था।

4.8 अंतरिक्ष विभाग द्वारा पूर्व-प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58 (2) के अनुसार संवितरण अधिकारी द्वारा यदि किसी दावे को स्वीकार करने से, आवंटन या विनियोग से राशि अधिक बढ़ जाती है तो वह भुगतान को प्राधिकृत करने से पूर्व प्रशासनिक प्राधिकारी से आदेश लेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी पुनर्विनियोग के द्वारा अथवा अनुपूरक अनुदान द्वारा अथवा आकस्मिक निधि से अग्रिम लेकर निधियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

वर्ष 2012-13 हेतु समेकित मासिक लेखाओं/ई-लेखा डाटा को संवीक्षा ने प्रकट किया कि वास्तविक व्यय उपलब्ध प्रावधान से निम्नलिखित शीर्षों में ₹4.15 करोड़ तक अधिक हो गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है तथा व्यय करने से पहले निधियां प्रदान करने हेतु कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए गए थे।

तालिका 4.16: पूर्व प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	कार्यक्रम	बजट	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5=4-3
340200101040027	पी.एस.एल.पी.सी.	0.15	0.64	0.49
340200101460013	ई.ओ.एन.एम.	0.6	0.82	0.22
340200101460028	ई.ओ.एस.एम.	0.15	0.22	0.07
340200101470050	सरल	0.07	0.11	0.04
340200102120020	आई.आई.आर.एस.	0.06	0.27	0.21
340200102120027	आई.आई.आर.एस.	2.6	3.12	0.52
345100090180014	डी.ओ.एस.	0.01	0.02	0.01
540200101200052	पी.एस.एल.वी.सी.	3.75	6.33	2.58
340200102110012	एन.आर.एस.सी.	0.15	0.16	0.01
कुल		**7.54**	**11.69**	**4.15**

4.9 अंतरिक्ष विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश जारी करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 के साथ पठित परिशिष्ट 3 तथा 4 में एक संगठन द्वारा विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 25(1) में आदेश हैं कि व्यय की सभी संस्वीकृतियों

में, संबंधित अनुदान या विनियोजन जहाँ से इस प्रकार का व्यय किया जाना है, में प्रावधानों के विवरण दर्शाए जाएंगे।

अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग के विनियोग लेखे की जांच से प्रकट हुआ कि जैसे कि संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभागों में प्रचलित पद्धति है, अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में व्यय के अनुमान, योजनागत और गैर योजनागत व्यय के लिए राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर पृथक रूप से विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित तैयार किए गए थे। तथापि, व्यय करने का प्राधिकार देने वाले अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश, राजस्व तथा पूंजीगत लेखे के अंतर्गत योजनागत तथा गैर योजनागत तथा राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में डेबिट की जाने वाली व्यय की राशि को अलग-अलग निर्दिष्ट नहीं करते हैं। संस्वीकृति आदेश वर्गीकरण के छठे स्तर तक पूर्ण निर्देश देने की बजाय केवल उपशीर्ष स्तर अर्थात वर्गीकरण के चौथे स्तर तक वर्गीकरण किए जाने वाले व्यय की राशि को निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार, अंतरिक्ष विभाग में प्राधिकारियों द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि ये व्यय की उचित बुकिंग तथा वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं देते।

संस्वीकृति आदेशों में वर्गीकरण के ब्यौरों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में छठे स्तर तक वर्गीकरण दर्शाते हुए लेखे किस प्रकार तैयार करके संकलित किए गए हैं।

इस मामले पर वर्ष 2010-11 के लेखाओं पर भी वर्ष 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा सं. 4.5.3 एवं 2013 हेतु प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.25 के रूप में टिप्पणी की गई थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई दृष्टिगोचर कार्रवाई नहीं की गई।

अंतरिक्ष विभाग ने अपने पहले के उत्तर को दुहाराते हुए (जुलाई 2013) उत्तर दिया कि चूंकि समस्त परियोजना व्यय को लम्बी अवधि के लिए एक सम्पूर्ण योजना के रूप में समझा गया, परियोजना संस्वीकृति आदेश चौथे स्तर तक जारी किए गये हैं तथा प्रारम्भिक स्तर पर विषय शीर्षो के प्रति आवंटन का पता नहीं लगाया जा सकता तथा इसलिए संस्वीकृति आदेशों को उपशीर्ष स्तर तक जारी किया गया था।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में अंतर्विष्ट प्रावधान पर विचार करते हुए विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। चूंकि संसद अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के विषय शीर्ष स्तर तक व्यय के अनुमानों का अनुमोदन करती है, व्यय करने के लिए जारी संस्वीकृति आदेशों में संबंधित अनुदान या विनियोग जहां से विषय-शीर्षों तक ऐसा व्यय किया जाना होता है, के संबंध में वर्गीकरण के ब्यौरे दर्शाए जाने चाहिए।

4.10 एकमुस्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातिय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी

योजनाएं इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए है। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, दोनों भौतिक तथा वित्तीय प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (अ.जा.उ.यो.) तथा जनजातीय उप योजना (ज.उ.यो.) हेतु आवंटनों को तैयार करने हेतु की पहलकदमियां गई थी। सरकार ने समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित प्रथम रूप से प्रावधान प्राप्त किए गए हैं। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, अ.जा.उ.यो. तथा ज.उ.यो. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उसी शीर्ष को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है जिससे विपथन की किसी भी संभावना से बचा जाता है।

पांच अनुदानों की वर्ष 2012-13 हेतु अनुदानों की विस्तृत मांगों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सामान्य संघटक; अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक; तथा जनजाति क्षेत्र उप-योजना संघटक हेतु अलग तथा पृथक बजट सीमाएं विद्यमान है जिसके लिए संसदीय प्राधिकरण प्राप्त किए गए थे। वर्ष के दौरान, इन योजनाओं/संघटकों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करते समय एक मुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए थे तथा उन्हें तीनों संघटकों में संवितरित किया गया था। चूंकि सभी तीनों योजनाओं में विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' वर्गीकरण के अंतिम स्तर तक शामिल है इसलिए वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस शीर्ष के प्रावधान का संवर्धन, नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमा को आकर्षित करता है। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों को एक मुश्त अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के बजाए तीनों योजनाओं के अंतर्गत अलग से राशि विशिष्ट अनुपूरक अनुदान प्राप्त करनी चाहिए थी।

निम्नलिखित मामलों में गलत अनुपूरक प्राप्त करने के परिणाम के रूप में तथा वर्तमान अनुदेशों के उल्लंघन में 2012-13 में पांच अनुदानों में प्राधिकरणों से अधिक कुल ₹255.42 करोड़ का अधिक व्यय पाया गया था।

तालिका 4.17: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	योजना	प्रावधान			व्यय	आधिक्य
		मूल	उ.पू.क्षे.के अन्तर्गत शीर्ष	कुल		
2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	राष्ट्रीय कृषि नवपर्वतन परियोजना/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना 2415.01.796.02.00.35	0.50	--	0.50	1.19	0.69
	कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजना 2415.01.796.05.00.35	3.00	--	3.00	12.00	9.00
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2210.06.796.05.01.31	3.40	0.00	3.40	8.41	5.01
58-विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2202.02.789.07.00.35	378.80	6.16	384.96	477.03	92.07
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2202.02.796.08.00.35	177.46	28.21	205.67	234.21	28.54
59-उच्चतर शिक्षा विभाग	भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान, शिमला 2202.03.789.05.00.31	0.58	0.09	0.67	1.57	0.90
	भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान, शिमला 2202.03.796.05.00.31	0.26	0.04	0.30	0.70	0.40
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.31	4.00	0.52	4.52	6.02	1.50
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.35	0.70	-	0.70	4.22	3.52
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.36	3.40	0.38	3.78	4.68	0.90
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.31	2.00	0.26	2.26	3.01	0.75
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.35	0.35	-	0.35	2.11	1.76
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.36	1.70	0.19	1.89	2.34	0.45
	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 2202.05.789.06.00.31	0.80	0.12	0.92	2.92	2.00
	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 2202.05.796.06.00.31	0.24	0.02	0.26	0.88	0.62
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.789.08.00.31	19.64	2.45	22.09	22.99	0.90
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.796.08.00.31	9.82	1.23	11.05	11.50	0.45
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.789.08.00.35	142.36	15.55	157.91	176.81	18.90
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.796.08.00.35	71.18	7.77	78.95	88.40	9.45
	राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची 2203.00.789.11.00.35	1.92	0.00	1.92	3.12	1.20
	राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची 2203.00.796.11.00.35	0.96	0.00	0.96	1.56	0.60

अनुदान सं.	योजना	प्रावधान			व्यय	आधिक्य
		मूल	उ.पू.क्षै.के अन्तर्गत शीर्ष	कुल		
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 2203.00.789.14.00.35	4.50	0.00	4.50	8.25	3.75
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 2203.00.796.14.00.35	2.25	0.00	2.25	4.12	1.87
	भारतीय खनन संस्थान, धनबाद 2203.00.789.15.00.35	14.02	0.00	14.02	17.77	3.75
	भारतीय खनन संस्थान, धनबाद 2203.00.796.15.00.35	7.01	0.00	7.01	8.89	1.88
	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार 2203.00.789.19.00.35	0	0.15	0.15	0.37	0.22
	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार 2203.00.796.19.00.35	0	11.62	11.62	34.02	22.40
	योजना एवं वास्तुकला के नवीन स्कूल की स्थापना 2203.00.789.21.00.35	3.15	0.00	3.15	9.15	6.00
	योजना एवं वास्तुकला स्कूल की स्थापना 2203.00.796.21.00.35	1.58	0.00	1.58	4.59	3.01
	भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान 2203.00.789.22.00.35	71.10	0.00	71.10	75.60	4.50
	भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान 2203.00.796.22.00.35	35.55	0.00	35.55	37.80	2.25
	नवीन भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2203.00.789.23.00.35	0.03	0.00	0.03	7.28	7.25
	नवीन भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2203.00.796.23.00.35	0.02	0.00	0.02	3.63	3.61
	नवीन भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2203.00.789.24.00.35	1.35	2.02	3.37	6.38	3.01
	नवीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 2203.00.796.24.00.35	1.58	2.37	3.95	5.45	1.50
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर 2203.00.796.18.00.35	2.37	0.00	2.37	3.87	1.50
	भारतीय विज्ञान सस्थान, बंगलुरु को अनुदान 2203.00.789.04.00.31	6.75	0.00	6.75	11.25	4.50
	भारतीय विज्ञान सस्थान, बंगलुरु को अनुदान 2203.00.796.04.00.31	3.37	0.00	3.37	5.62	2.25
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड 2235.02.103.42.02.31	0.50	0.00[3]	0.50	0.82	0.32
	2235.02.103.42.02.36	5.00	0.00	5.00	5.13	0.13
	2235.02.103.42.03.31	3.04	0.00	3.04	4.60	1.56
	2235.02.103.42.03.36	8.00	0.00	8.00	8.25	0.25
	2235.02.103.42.02.31	0.50	0.00	0.50	0.82	0.32
कुल		**994.74**	**79.17**	**1073.91**	**1329.33**	**255.42**

[3] शीर्ष '2552' के अंतर्गत बजट प्रावधान प्राप्त किया गया था। तथापि यह प्रावधान अ.वि.मा.में एक मुश्त राशि में रूप दर्शाता गया था एवं विशिष्ट बजट सीमा (कार्यात्मक शीर्ष में विस्तृत शीर्ष स्तर पर) के संदर्भ में कोई विसंगति मौजूद नहीं रही। इसी प्रकारः एक मुश्त अनुपूरक प्रावधान भी 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' के अंतर्गत विशिष्ट बजट सीमा की अपेक्षाओं हेतु राशि विशिष्ट ब्यौरे दिये बगैर प्राप्त किया गया था।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए कोई पृथक आवंटन नहीं था तथा बजट अनुमान विवरण (व.अ.वि.) के अनुसार इसको योजना, जिससे यह संबंधित है, के आवंटन में दर्शाया गया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने (जनवरी 2014) बताया कि संवर्धन एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान के माध्यम से नहीं किया गया था। इसके स्थान पर, प्रावधान में संवर्धन उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ हेतु योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गैर-कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत योजनावार प्रावधान ब्यौरा, इस संबंध में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 सितम्बर 2005 के बावजूद अ.वि.मां. में भी उपलब्ध नहीं था।

विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बताया (दिसंबर 2013) कि वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपूरक मांग के प्रारूप में केवल मुख्य शीर्षों हेतु ब्यौरे थे और इसे तद्नुसार, सहायता-अनुदान सामान्य तथा अलग से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों की तरह विषय-शीर्ष-वार रखा गया था, जबकि अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों में अ.जा.उ.पो. (789) तक ज.उ.स. (796) जैसे लघु शीर्ष के, लिए ब्यौरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2014), कि तीन संघटनों के अन्तर्गत अपेक्षित अनुपूरक का विवरण आगे से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया था। निर्धारित प्रारूप में अ.जा.उ.यो. (लघु शीर्ष 789) तथा ज.उ.यो. (शीर्ष 796) जैसे लघु शीर्षों के विवरणों के उल्लेख का वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित योजनाओं में अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों को मुख्य शीर्ष-वार तथा योजनाओं में निधियों की आवश्यकता के अनुसार आगे विषय शीर्ष-वार ब्यौरा उल्लिखित करते हुए प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त यह बताया गया (फरवरी 2014) कि अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

मंत्रालयों/विभागों का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा सं.93-वस्त्र मंत्रालय में राशि विशिष्ट अलग अनुपूरक प्रावधान को योजना के सभी तीनों संघटकों हेतु प्राप्त किया गया था। अन्य मंत्रालय भी, जहाँ कहीं अलग बजट सीमाएं विद्यमान हैं, समान प्रक्रिया को आपनाएं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि किया गया व्यय सा.वि.नि. के प्रावधानों के भीतर था क्योंकि इन मामलों में निधियां पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के दृष्टांत में तर्कसंगत नहीं है कि योजना 'केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड' को विस्तृत शीर्ष स्तर पर कुछ उप-संघटकों में विभाजित किया गया था। 'सहायता अनुदान' संर्वधन हेतु संसद की स्वीकृति पृथक रूप से संघटक-वार प्राप्त नहीं की गई थी।

4.11 विषय शीर्षों के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबंधित है कि शीर्ष एकमुश्त (विषय शीर्ष 42) अंतर्गत प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, के संबंध में व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 हेतु विनियोग लेखे की जांच ने प्रकट कि निम्नलिखित मामलों में व्यय के पूर्व ब्यौरे सहित संसदीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बजाए ₹10 लाख से अधिक के एक मुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे, जो वर्तमान नियमावली के तहत आवश्यक था।

तालिका 4.18: एकमुश्त प्रावधान

क्र.सं.	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	टिप्पणियाँ
			(₹करोड़ में)		
1.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	3475.00.105.04.00.42	0.52	0.61	भुगतान, सहायक न्यायालयीन परिमापक, उच्च न्यायालय कोलकाता के कार्यालय में वेतनों, चिकित्सा व्ययों, यात्रा व्ययों एवं अन्य कार्यालय व्ययों के लिए किया गया था। इस मामले को नि.म.ले.प. के वर्ष 2011-12 हेतु प्रतिवेदन सं. 1 में भी सूचित किया गया था। विभाग ने बताया (नवम्बर, 2013) कि उसने लेखापरीक्षा से उनके कार्यालय की वर्ष 2014-15 हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधानों को विभाजित करने का परामर्श/सूत्रित करने का अनुरोध किया है। विभाग ने आगे बताया (जनवरी, 2014) कि यह वे.ले.का. से बजटीय प्रयोजन हेतु अपेक्षित लेखा शीर्षों के सृजन का अनुरोध कर रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विनियोग की मानक प्राथमिक इकाई अर्थात विषय शीर्ष, व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु वर्णन एवं परिभाषा के साथ, निर्धारित करता है।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th rowspan="2">अनुदान सं.</th><th rowspan="2">लेखा शीर्ष</th><th>प्रावधान</th><th>व्यय</th><th rowspan="2">टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><th colspan="2">(₹करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</td><td>2408.01.103.01.03.42</td><td>0.21</td><td>0.20</td><td>--</td></tr>
<tr><td>3.</td><td rowspan="4">52-गृह मंत्रालय</td><td>2070.00.105.17.00.42 आई.एस. अन्य अवैध गतिविधियों (निषेध) अधिकरण</td><td>0.45</td><td>0.28</td><td rowspan="4">मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि अधिकरण का व्यय विभिन्न घटकों अर्थात अधिकरण की बैठकों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। व्यय का ठीक-ठाक अनुमान लगाना संभव नहीं था। उसने यह भी बताया कि संबंधित बजट नियंत्रण प्राधिकारियों से एक मामले में उत्तर प्रतिक्षित था।
उत्तर इस अनुबंधन के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं है कि जब भी एक मुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक हो तो विवरण के ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए। इसलिए इन सभी मामलों में प्रावधान 'एक मुश्त प्रावधान' के बजाए विशिष्ट विषय शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2070.00.105.18.00.42 उ.पू. हेतु अन्य अवैध गतिविधियां (निषेध) अधिकरण</td><td>0.70</td><td>0.55</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2070.00.105.19.00.42 उत्तर भारत हेतु अन्य अवैध गतिविधियां निवेश अधिकरण</td><td>1.00</td><td>0.66</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2070.00.119.03.11.42 अनुवाद में प्रशिक्षण देने हेतु नगद कार्यक्रम</td><td>0.34</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>88-दमन एवं दीव</td><td>3056.00.003.01.00.42</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>मंत्रालय ने ₹1.00 करोड़ के व्यय को भारतीय अंतर्देशीय जल निकाय प्राधिकरण (मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) को तकनीकी अध्ययनों के आयोजन हेतु जारी राशि होने के कारण नियमानुसार '31 सहायता-अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर विषय शीर्ष '42-एकमुश्त प्रावधान' के अंतर्गत दर्ज किया था।
प्र.मु.रि.ले.नि ने बताया (नवम्बर, 2013) कि मुख्य शीर्ष 3056 के अंतर्गत विषय शीर्ष '31 सहायता-अनुदान-सामान्य' को ब.अ. 2013-14 में खोला गया है और प्रावधान भी किया गया है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>99-दमन एवं दीव</td><td>उपभोक्ता मामले मंत्रालय 3475.00.106.01.00.42</td><td>0.14</td><td>0.10</td><td>--</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</td><td>अन्य मदें 2235.02.103.17.00.42</td><td>1.00</td><td>0.34</td><td>मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि विषय शीर्ष 42 के अंतर्गत व्यय के ब्यौरे इस स्तर पर नहीं दिए जा सकते हैं। तथापि, इसने बताया कि था कि कथित व्यय बैठकों/सम्मेलनों, आदि पर खर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि ऐसे व्यय वर्ष 2013-14 के बाद से विषय शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्ज किये जाएंगे।</td></tr>
</table>

4.12 निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(2) के अनुसार, संवितरण कार्यालय द्वारा यदि किसी दावे को स्वीकार करने से आवंटन या विनियोग से राशि अधिक बढ़

जाती है तो वह दावे का भुगतान करने से पहले प्रशासनिक प्राधिकारी से आदेश लेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी या तो पुनर्विनियोग या अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके या भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर निधियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

वर्ष 2012-13 हेतु समेकित मासिक लेखे की पांच अनुदानों में लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि वास्तविक व्यय उपलब्ध प्रावधानों से ₹1,944.26 करोड़ तक अधिक था जैसा नीचे विवरण दिया गया है। सेवा हेतु प्रावधान करने के पुनर्विनियोग आदेश व्यय करने के पश्चात आगामी तिथियों में जारी किए गए थे।

तालिका 4.19: पुनर्विनियोग के जारी होने के पूर्व व्यय प्रावधान से किए गए अधिक व्यय के मामले

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	बजट प्रावधान	माह जिसमें व्यय उपलब्ध प्रावधान से अधिक हुआ		राशि जिससे व्यय प्रावधान से अधिक हुआ (पुनर्विनियोग से पहले)
		व्यय	व्यय	
अनुदान सं.46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
2071.01.118.01.00.06	630.00	773.51	फरवरी-13	143.51
2210.01.001.03.01.06	0.67	0.80	जनवरी-13	0.13
2210.01.001.03.01.11	1.10	1.24	फरवरी -13	0.14
2210.01.103.24.01.01	381.55	403.54	फरवरी -13	21.99
2210.01.103.24.01.13	10.71	12.91	फरवरी -13	2.20
2210.01.103.24.01.21	234.79	330.10	फरवरी -13	95.31
2210.01.104.02.00.13	0.80	1.35	फरवरी -13	0.55
2210.01.110.19.01.13	22.50	29.42	जनवरी -13	6.92
2210.01.110.19.01.21	32.13	47.82	दिसम्बर-12	15.69
2210.01.110.19.99.13	0.70	0.93	दिसम्बर-12	0.23
2210.01.110.20.03.01	177.53	189.97	फरवरी -13	12.44
2210.01.110.20.03.20	0.08	0.13	जनवरी -13	0.05
2210.01.110.20.03.21	34.08	39.40	फरवरी -13	5.32
2210.01.800.26.00.36	12.00	34.30	मार्च-13	22.30
2210.05.105.28.01.31	271.00	325.70	जनवरी -13	54.70
2210.05.105.28.01.36	586.00	672.00	जनवरी -13	86.00
2210.05.105.39.00.01	1.00	6.00	फरवरी -13	5.00
2210.05.105.36.00.31	0.00	29.92	जून -12	29.92
2210.05.105.36.00.35	0.00	44.85	जून -12	44.85

शीर्ष	बजट प्रावधान	माह जिसमें व्यय उपलब्ध प्रावधान से अधिक हुआ		राशि जिससे व्यय प्रावधान से अधिक हुआ (पुनर्विनियोग से पहले)
		व्यय	व्यय	
2210.05.105.36.00.36	0.00	60.00	जून -12	60.00
2210.05.105.43.00.31	0.00	23.92	जून -12	23.92
2210.05.105.43.00.35	0.00	29.92	जून -12	29.92
2210.05.105.43.00.36	0.00	120.00	जून -12	120.00
2210.05.105.44.00.31	0.00	5.00	अगस्त-12	5.00
2210.06.101.30.03.31	2.97	25.95	जून -12	22.98
2210.06.101.30.13.31	36.50	53.00	फरवरी -13	16.50
2210.06.102.09.00.31	12.00	19.38	मार्च -13	7.38
2210.06.796.13.00.31	4.60	8.40	दिसम्बर-12	3.80
2210.06.800.24.03.21	5.30	37.67	जनवरी -13	32.37
2210.06.800.24.13.21	2.00	2.12	दिसम्बर-12	0.12
2211.00.108.08.01.31	10.00	22.86	फरवरी -13	12.86
2211.00.109.09.02.21	464.49	516.11	फरवरी -13	51.62
2211.00.796.04.01.31	109.50	154.89	सितम्बर-12	45.39
2211.00.796.04.02.31	419.26	697.77	सितम्बर-12	278.51
कुल				**1,257.62**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि संशोधित अनुमानों की सीमा के परिणामस्वरूप, विनियोग के उप-शीर्षों/इकाइयों की एक बड़ी संख्या के अंतर्गत बचतों का पुनः आवंटन एवं प्रावधानों का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, स्वीकृत अनुमानों का एक विस्तृत विवरण सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ जारी किया गया था एवं इसके प्रति भुगतान को भी प्राधिकृत किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लाभार्थ योजना के मामले में, व्यय को कार्यात्मक शीर्ष में दर्ज किया गया है। तथापि, संपूर्ण अनुदान हेतु वित्त वर्ष की समाप्ति पर एक समेकित आदेश जारी किया जा रहा था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध है। किसी भी सेवा पर व्यय करने से पहले, प्रशासनिक प्राधिकरण को या तो पुनर्विनियोग या फिर अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्रावधान उपलब्ध कराने चाहिए।

अनुदान सं..53-मत्रिमंडल				
2013.00.108.02.01.11	6.50	10.63	जनवरी-13	4.13
2055.00.118.01.01.20	7.12	9.30	सितम्बर-12	2.18
कुल				**6.31**

शीर्ष	बजट प्रावधान	माह जिसमें व्यय उपलब्ध प्रावधान से अधिक हुआ		राशि जिससे व्यय प्रावधान से अधिक हुआ (पुनर्विनियोग से पहले)
		व्यय	व्यय	
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि भुगतान (क्र.सं. 2 के संबंध में) कर दिये गये थे क्योंकि भुगतान को पुनर्विनियोजन तक रोके रखना संभव नहीं था। आगे बताया गया (क्रम सं. 1 के संबंध में) कि अतिरिक्त व्यय हेतु प्राधिकरण जनवरी 2013 में वे.ले.का. के पास भेज दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च-2014) कि घरेलू यात्रा व्यय (क्रय सं. 1 के संबंध में) हेतु अतिशीघ्र निधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए संस्वीकृति जारी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।				
अनुदान सं. 54-पुलिस				
2055.00.119.01.00.06	41.25	48.66	फरवरी 2013	7.41
2055.00.003.01.02.01	25.50	25.53	फरवरी 2013	0.03
2055.00.003.01.02.28	16.70	16.72	फरवरी 2013	0.02
4055.00.201.03.00.51	110.00	110.81	फरवरी 2013	0.47
4055.00.204.02.00.52	35.00	42.15	नवम्बर 2013	7.15
4055.00.212.09.04.52	60.00	127.82	फरवरी 2013	67.82
4055.00.216.13.01.52	0.20	0.26	जनवरी 2013	0.06
2055.00.003.06.01.02	0.30	0.34	फरवरी 2013	0.04
2055.00.105.03.01.41	1.25	1.40	फरवरी 2013	0.15
कुल				**83.15**
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2013) कि व्यय पुनर्विनियोग आदेशों की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया था क्योंकि यह अधिकांश भुगतान अनिवार्य थे तथा इनमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।				
अनुदान सं.55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय				
2245.80.102.04.00.01	7.00	7.40	फरवरी -13	0.40
2245.80.102.14.01.01	219.71	227.14	फरवरी -13	7.44
2245.80.102.14.01.23	14.00	16.63	जनवरी 2013	2.63
कुल				**10.47**
मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि कर्मचारियों को वेतन तथा राशन की लागत के भुगतान की अत्यावश्कता के दृष्टांत से फरवरी माह में भुगतान किया गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।				
अनुदान सं..90- अंतरिक्ष विभाग				
168 मामले अनुबंध 4.3 में सूचीबद्ध				**586.71**
अ.वि.ने अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (मार्च 2014) किया। कुछ मामलों में प्रावधानों से अधिक व्यय हेतु स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में उसने उल्लेख किया कि पुनर्विनियोग मार्च 2013 में किया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना बजट प्रावधान के अधिक में व्यय करना अनुमत नहीं है। इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोग आदेश दूसरे उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) द्वारा जारी किए गए थे न कि अं.वि. द्वारा तथा इसलिए स्वीकार्य नहीं थे।				
कुल योग				**1944.36**

4.13 डाक विभाग

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान सं. 13-डाक विभाग की लेखापरीक्षा जांच से कई वित्तीय कमियाँ प्रकट हुई जिनका आगामी पैराग्राफों में सारांश दिया गया है।

4.13.1 बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) में यह प्रावधान है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। शीर्ष वार विनियोग लेखाओं की जांच से पता चला कि चार ममालों में कोई बजट प्रावधान उपलब्ध किए बिना, कोई संसदीय प्राधिकार दिए बिना ₹0.72 करोड़ की राशि का व्यय किया गया, जिसके विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 4.20: बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	राशि	विभाग का उत्तर
1.	5201.00.101.01 भूमि	0.11	डाक विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमति जताते हुए बताया (दिसंबर 2013) कि परिमंडलों को ऐसे व्ययों को करने के लिए कारण बताने का निर्देश दे दिया गया है।
2.	5201.00.104.31 टिकट संग्रहण का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण	0.004	
3.	5201.00.104.33 डाक लेखे प्रबंधन	0.58	
4.	5201.00.104.37 प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण	0.03	
कुल		**0.72**	

4.13.2 पुनर्विनियोग आदेशों का जारी न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 में यह प्रावधान है कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा ऐसे अन्य सामान्य अथवा विशिष्ट प्रतिबंध जैसाकि इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए जाएं, के अधीन भी एक अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की एक प्राथमिकता इकाई से दूसरी ऐसी इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग को वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसा अनुदान या विनियोग संबंधित है, की समाप्ति से पूर्व किसी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है तथा पुनर्विनियोग की आदेश की प्रति लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

डाक विभाग में केवल पुनर्विनियोग के उन मामलों में जहाँ वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, संस्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। गैर-क्रियात्मक शीर्ष से क्रियात्मक शीर्ष में निधियों के पुनर्वियोग सहित अन्य सभी मामलों में विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी अन्य इकाई में निधियाँ पुनर्विनियोग हेतु सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति केवल फाइल में ली गई है तथा कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था।

इस मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.31.3 में सूचित किया गया था। किन्तु डाक विभाग द्वारा सामानय वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 के प्रावधान में कोई विवेकशील कार्रवाई नहीं की गई है।

4.14 रक्षा सेवाएं

4.14.1 बचतों/आधिक्य की राशियों को गलत दर्शाना

संघ सरकार के विनियोग लेखे का अभिप्रेत राजस्व प्रभारित/दत्तमत तथा पूंजीगत प्रभारित/दत्तमत हेतु अलग से सकल व्यय के अनुदान-वार ब्यौरे प्रदान करना है। विनयोग लेखे में संस्वीकृत प्रावधान तथा विशिष्ट लेखा शीर्ष के अंतर्गत किए गये व्यय के बीच विभिन्नता अर्थात् बचतों/आधिक्य, हेतु स्पष्टीकरण भी शामिल होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु सिविल, रक्षा तथा डाक के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संघ सरकार की 106 अनुदानों में से सौ में टिप्पणियों के तहत उपशीर्षो के अंतर्गत अंतरों हेतु स्पष्टीकरण तथा विनियोग लेखे में टिप्पणियां संस्वीकृत प्रावधान अर्थात् मूल तथा अनुपूरक प्रावधानों के संदर्भ में दी गई है।

रेलवे के विनियोग लेखे में भी, 16 अनुदानों को शामिल करके अंतर की राशि सहित अंतरों हेतु स्पष्टीकरण को संस्वीकृत प्रावधान के संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया है।

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे के मामले में छः अनुदानों को शामिल करके अंतरों की राशि को अंतिम अनुदान अर्थात् मूल + अनुपूरक ± पुनर्विनियोग के आधार पर परिकलित किया जाता है। चूंकि संसद को सूचित किए जा रहे विनियोग लेखे को इसके द्वारा प्राधिकृत प्रावधान की तुलना में वर्ष में खर्च राशि के आधार पर तैयार किया गया है इसलिए अंतरों को केवल मूल तथा अनुपूरक प्रावधानों के संदर्भ में परिकलित किया जाना चाहिए।

इस अनियमितता को वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु संघ सरकार के लेखे पर 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में इंगित किया गया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे में कोई शोधि उपाय नहीं किए गए हैं तथा विभिन्नताओं को अंतिम अनुदान के आधार पर स्पष्ट किया जा रहा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रणाली 'अंतरों के कारण तथा उनका प्रस्तुतीकरण को दर्ज करने हेतु मापदण्ड' के नोट 2, जो बजट नियमपुस्तिका के अनुबंध-IV (अध्याय-III) में शामिल है, से अलग है। उसने आगे बताया कि वर्तमान प्रक्रिया का लम्बे समय से अनुपालन किया जा रहा है तथा स्थापित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सशस्त्र दलों की कार्रवाई की तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित ईष्टतम उपयोग के लिए उपलब्ध अनुदानों के भीतर निधियों का पुनर्विनियोग करने हेतु सेवाओं के उपलब्ध लचीलेपन को रद्द करेगा।

मंत्रालय का उत्तर इस दृष्टांत से सही नहीं है कि बजट नियमपुस्तिका का नोट 2 स्वयं अनुबंध करता है कि अंतर, शीर्ष-वार विनियोग लेखे के कॉलम 1 (अभ्यर्पण तत्व सहित पुनर्विनियोग) तथा कालम 4 के अंतर्गत एक साथ लिए गए अंतरों को सूचित करते हैं।

इसलिए, वर्तमान प्रक्रिया, यद्यपि मंत्रालय द्वारा लम्बे समय से अपनाई जा रही है, को बदला जाना चाहिए तथा सिविल, डाक तथा रेलवे के विनियोग लेखे में अनुपालन की जा रही सही प्रक्रिया के साथ बराबर किया जाना चाहिए। विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय के लेखे हैं जिसकी तुलना दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोग के साथ की जाती है, जैसा संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के अनुसूचित परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है तथा किसी भी बचत/आधिक्य को केवल संसद द्वारा प्राधिकृत प्रावधानों के संदर्भ में परिकलित किया जाना चाहिए। आधिक्य एवं बचते दर्शाने तथा इसकी व्याख्या किए जाने का भी मंत्रालय के पास उपलब्ध पुनर्विनियोग की शक्तियों पर कोई असर नहीं हुआ है।